संसद में जम्मू कश्मीर

प्रो० चमन लाल गुप्ता

कश्मीर भारत का अटूट अंग है और रहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत इसको जुदा नहीं कर सकती; पर देश की अखण्डता को बनाए रखने के लिए हमें वहां ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा। 1947 से लेकर आज तक कश्मीर के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई गई। कश्मीर के बारे में हमेशा कभी एक परिवार के हाथ में शासन दिया गया तो कभी दूसरे परिवार के हाथ में। नतीजा हमारे सामने है।

●

हमारे डोडा जिले में लगभग दो सौ परिवार ऐसे हैं, जिन परिवारों के सदस्य उग्रवादियों की गोलियों से मारे गए हैं। हमारी मांग है कि डोडा जिले के आतंकवाद पीड़ित बन्धुओं को तुरंत एक्सग्रेशिया ग्रांट की एक लाख की राशि तथा उनके परिवार के एक सदस्य को तुरंत नौकरी दी जाए।

●

डोडा जिले में और विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई जाएं और इन कमेटियों को वहां पर बाकायदा मानदेय दिया जाए, इन्हें आतंकवाद से लड़ने के लिए हथियार मुहैया कराए जाएं, ताकि वे वहां पर ठीक से अपना काम कर सकें।

—प्रो० चमन लाल गुप्ता

संसद सदस्य, लोकसभा

संसद में
जम्मू-कश्मीर

प्रो० चमन लाल गुप्ता
(संसद सदस्य, लोकसभा)

द्वारा

ग्यारहवीं लोकसभा में दिए गए भाषण

सम्पादक

महाराजकृष्ण भरत

अनिल प्रकाशन
2619-20, न्यू मार्किट, नई सड़क, दिल्ली-6

प्रकाशक : **अनिल प्रकाशन**
2619-20, न्यू मार्किट
नई सड़क, दिल्ली-6

मुद्रक : आदर्श प्रिन्टर्स, नवीन शाहदरा

प्रथम संस्करण : नवंबर, 1997

मूल्य : 20.00 (अजिल्द)
25.00 (सजिल्द)

देश की एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने
के लिए अपने प्राणों को न्यौच्छावर
करने वाले शहीदों को
शत्-शत् नमन
के साथ
समर्पित

आशीष

प्रिय प्रो० गुप्ता,

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि एक वर्ष के अपने संसदीय कार्यकाल में आपके द्वारा जो मुद्दे उठाए गए, उन्हें लिपिबद्ध कर एक संकलन के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है।

क्षेत्रीय जनता को अपने कार्यकलापों से अवगत कराना आपका दायित्व बनता है। जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह पुस्तिका आपके विचार एवं संसद और संसद से बाहर उठाए गए मामलों को जनता तक पहुंचाने में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

मैं आपके प्रयासों की सफलता चाहता हूं।

शुभकामनाओं सहित,

आपका

अटल बिहारी वाजपेयी

(अटल बिहारी वाजपेयी)

पूर्व प्रधानमंत्री

मेरी बात

4 जून, 1996 को ऊधमपुर संसदीय क्षेत्र के चुनाव का नतीजा घोषित हुआ। ईश्वर कृपा से 70 हजार 55 वोटों से मैं विजयी हुआ, जिसका श्रेय वहां की जनता को जाता है, जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना और जनता की सेवा करने का अवसर दिया। 11 जून, 96 को संसद में मेरा प्रथम दिन था। अपने संसदीय क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर राज्य की समस्याओं को लोकसभा में उठाना मेरी पहली प्राथमिकता रही है। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं दिया है और लोकसभा में पहले ही दिन मैंने डोडा जिले के कलमाड़ी गांव के निर्मम हत्याकांड पर सदन का ध्यान आकर्षित कराया।

मैंने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद, पाकिस्तानी घुसपैठ, सीमा पर हो रही गोलाबारी के अलावा राज्य की तीनों इकाइयों (कश्मीर, जम्मू और लद्दाख) के साथ हो रहे भेदभाव, बेरोजगारी की समस्या, धारा-370 की समाप्ति जैसे अनेक पहलुओं पर संसद के प्रश्नकाल, शून्यकाल नियम-377 एवं अन्य उपलब्ध साधनों द्वारा उठाने का प्रयास किया है और आगे भी करूंगा। साथ ही मैंने कश्मीर के चार लाख लोगों के विस्थापन की दारूण व्यथा भी सदन के सामने रखी है और उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

यद्यपि लोकसभा में उठाए गए बहुत से मुद्दे समाचार-पत्रों तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्रचारित होते रहते हैं परन्तु दूर-दराज बैठे लोगों तथा सामान्य जन की जानकारी के लिए लोकसभा में दिए गए मेरे भाषणों का एक संकलन तैयार करने का सुझाव अनेक मित्रों एवं कार्यकर्ताओं ने दिया। इस सुझाव को मूर्त्त रूप देने का कार्य किया मेरे घनिष्ठ मित्र यशस्वी कवि एवं पत्रकार श्री महाराजकृष्ण भरत ने, जिन्होंने 11, जून '96 से 28 अगस्त '97 तक लोकसभा में दिए गए मेरे भाषणों को इस संकलन में एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रिय बंधु अनिल जी ने इस पुस्तक को अनिल प्रकाशन द्वारा छापने की जिम्मेदारी ली। मैं हृदय से इन दोनों बंधुओं का आभारी हूं।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीष मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रनेता श्री वाजपेयी जी के प्रति

आभार व्यक्त करना औपचारिकता होगी।

आशा है कि 'संसद में जम्मू-कश्मीर' पुस्तक में संगृहीत मेरे भाषणों से राज्य की वह तस्वीर सामने आएगी, जिसे पिछले पचास वर्षों से केंद्र सरकार छिपाती रही है, और साथ ही साथ इस पुस्तक से मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को संतोष मिलेगा।

दिनांक : 11-11-97

—चमन लाल गुप्ता
संसद सदस्य, लोकसभा
6, महादेव रोड़, नई दिल्ली।

जम्मू : 38 ए-बी,
II एक्सटेंशन,
गांधी नगर, जम्मू-180001
जम्मू-कश्मीर

संसद में जम्मू कश्मीर

पिछले पचास वर्षों से केंद्र सरकार की अस्पष्ट एवं दोहरी नीतियों के कारण ही कश्मीर समस्या सुलझने के बजाए उलझती ही जा रही है, जिसका खामियाजा न केवल लाखों कश्मीरी विस्थापित आज अपने ही देश में शरणार्थी बनकर भुगत रहे हैं वरन् देश भी भुगत रहा है। गत आठ वर्षों से कश्मीर में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद के कारण देश के धन का वहां सदुपयोग नहीं हो पाया है। अभी तक कश्मीर पर एक लाख करोड़ रुपए खर्च होने की बात भी कही गई है। अन्ततः देश का इतना धन वहां विकास कार्यों पर खर्च हुआ है या इस का दुरुपयोग हुआ है, न केवल इस मुद्दे को सांसद प्रो० चमन लाल गुप्ता ने लोकसभा में उठाया है बल्कि जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में ऐसे अनेक ज्वलंत मामलों को भी उजागर किया है जिनके माध्यम से देश की जनता को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आई० एस० आई० के माध्यम से कश्मीर में भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ा है और कैसे सीमा पर अकारण गोलाबारी कर पाकिस्तान घुसपैठियों को हमारी सीमाओं के अंदर धकेल रहा है और इन्हीं सारे मुद्दों को, जिन्हें सांसद प्रो० गुप्ता जी ने सदन में उठाया है 'संसद में जम्मू-कश्मीर' पुस्तक में एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

धारा-370 के रहते जम्मू-कश्मीर को क्या विशेष अधिकार प्राप्त है ! इस धारा के समाप्त होने पर ही कश्मीर समस्या का हल कैसे होगा ! कश्मीर को 'अधिकतम स्वायत्तता' दिए जाने की मांग देश के लिए कितनी घातक है ! पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, भारत का अभिन्न अंग है, यह जानने समझने के लिए पाठक को 'संसद में जम्मू कश्मीर' के भाषणों से गुजरना होगा। इस के अलावा पुस्तक में उनके वे भाषण भी शामिल हैं जो उन्होंने देश के अन्य राष्ट्रीय मुद्दों—जैसे समान नागरिक संहिता, हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक और उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक पर दिए हैं। इन दोनों विधेयकों पर बहस के दौरान भी उन्होंने जम्मू-कश्मीर में उर्दू और हिंदी के विकास एवं प्रचार-प्रसार के लिए सरकार को पहल करने का सुझाव दिया है। साथ ही डोगरी भाषा को, जो 30 लाख जन-समुदाय की भाषा है, जिसमें श्रेष्ठ साहित्य की रचना भी हुई है। संविधान की आठवीं अनुसूची में यथाशीघ्र सम्मिलित करने के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित कराया है। केंद्रिय बजट (1997-98) तथा बाद में विनियोजन विधेयक पर बहस के दौरान प्रो० गुप्ता जी ने बारीकी और तर्क पूर्ण ढंग से जहां रंजीत सागर बांध, दुलहस्ती प्रोजेक्ट

और सलाल की दूसरी परियोजना शुरू किए जाने पर चर्चा की है वहीं कर्जे माफी में जम्मू और लद्दाख के साथ केंद्र की भेदभाव की नीति के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया है।

यह मेरा परम सौभाग्य है कि लोकप्रिय नेता सांसद प्रो० चमन लाल गुप्ता ने मुझे अपने इन भाषणों को संकलित करने का सुअवसर प्रदान किया जो उन्होंने संसद के एक वर्ष और दो महीने (11 जून, 1996 से 28 अगस्त, '97) के कार्यकाल के दौरान लोकसभा में दिए हैं। सम्पादन का कार्य चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा होता है, हर बार यह बात मन में विद्यमान रहती है कि कहीं कोई भूल न हुई हो।

'संसद में जम्मू कश्मीर' में प्रो० गुप्ता जी के केवल 33 भाषणों को बीस लेखों में प्रसंगानुकूल तारतम्य बनाकर सम्मिलित किया गया है और बाद में परिशिष्ट का एक और अध्याय भी जोड़ा गया है। पठनीयता का क्रम बना रहे इसके लिए भाषणों को लेख के रूप में प्रस्तुत कर मुख्य शीर्षक दिए गए हैं और प्रत्येक भाषण में उठाए गए कई प्रमुख मुद्दों को उपशीर्षक के रूप में उजागर किया गया है। भाषणों की मौलिकता बनी रहे, यह मेरी पहली प्राथमिकता रही है इसलिए भाषणों के प्रवाह को गतिमान रखने के लिए बीच-बीच में आए अंग्रेजी शब्दों को यथावत रखा गया है।

यहां बताना प्रासंगिक होगा कि प्रो० गुप्ता जी के संसद के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान केंद्र में तीन प्रधानमंत्री हुए हैं। मई 1996 में ग्यारहवीं लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हुए और 16 मई, 1996 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, परन्तु सदन में विश्वासमत हासिल न करने के फलस्वरूप श्री वाजपेयी जी ने 28 मई, '96 को प्रधानमंत्री पद से त्याग-पत्र दिया। 1 जून, 1996 को संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने एच० डी० देवगौड़ा। 325 दिन के बाद 21 अप्रैल, 1997 को कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर उन्हें त्याग-पत्र देना पड़ा और श्री इन्द्र कुमार गुजराल संयुक्त मोर्चा के नए नेता चुने गए। 21 अप्रैल, '97 को श्री गुजराल 11वीं लोकसभा के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। यह बात यहां इसलिए जोड़नी पड़ रही है क्योंकि पुस्तक में संकलित भाषण अलग-अलग तिथियों के हैं और सभी भाषणों के शुरू में तिथियों दी हुई हैं। पाठक को इससे यह समझने में सुविधा होगी कि किन के कार्यकाल में क्या मुद्दे उठाए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए 'संसद में जम्मू कश्मीर' ऐसी सम्भवतया अभी तक की पहली पुस्तक होगी, जिसमें वहां से पहली बार चुने गए सांसद प्रो० चमन लाल गुप्ता द्वारा संसद में राज्य के बारे में दिए गए भाषणों को संकलित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी संसद के दोनों सदनों (लोकसभा

और राज्यसभा) में कश्मीर के मामले को उठाती रही है पर इस पुस्तक की उपादेयता इसलिए भी और बढ़ जाती है कि इसमें संगृहीत विचार एक ऐसे प्रखर नेता के हैं जो वहां के मूल निवासी हैं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के आज और कल से साक्षात्कार किया है और जो वहां की ज्वलंत एवं समसामयिक घटनाओं के भुक्तभोगी हैं। इस दृष्टि से भी 'संसद में जम्मू कश्मीर' पुस्तक कश्मीर के संदर्भ में एक प्रामाणिक दस्तावेज साबित होगी, ऐसी मेरी आशा है।

नई दिल्ली
17-11-97

महाराजकृष्ण भरत

...संसद तक का सफर

राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए कृत संकल्प भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता प्रो० चमन लाल गुप्ता बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जीवन की शुरुआत ही उन्होंने समाज सेवा से की। यद्यपि वे बाद में कुछ वर्षों के लिए अध्यापन क्षेत्र में भी संलग्न रहे, पर जब उन्हें महसूस होने लगा कि समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए उनका शिक्षक बना रहना बाधक है तो उन्होंने समाज सेवा का माध्यम राजनीति बनाया। यह उन दिनों की बात है जब 1972 में उन्होंने ऊधमपुर के डिग्री! कॉलेज से प्राध्यापक पद से त्यागपत्र दिया था और इसी साल जम्मू से भारतीय जनसंघ के टिकट पर विधानसभा के चुनाव में खड़े हो गए थे। समाज में उनकी पैठ थी। वे विजयी हुए और 1977 तक राज्य विधानसभा के सदस्य रहे। इस बीच 1973 से 1980 तक वे जम्मू-कश्मीर भारतीय जनसंघ (अब भारतीय जनता पार्टी) के और 1980 से 1989 तक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी बने। दूसरी बार जम्मू से ही 1987 के विधानसभा चुनावों में वे फिर निर्वाचित हुए और जब मई, 1996 में राज्य में लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने ऊधमपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा। वे 70 हजार 55 मतों से विजयी हुए। उन्हें कुल 1,66,206 मत प्राप्त हुए।

प्रो० चमन लाल गुप्ता का जन्म 13 अप्रैल, 1934 में जम्मू शहर से करीब 50 कि०मी० दूर कलीठ गांव में एक सम्पन्न परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा-दीक्षा जम्मू और इलाहाबाद में हुई। 1958 में इलाहाबाद में भौतिकी विषय में एम० एस० सी० की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों को दी। तब उनकी आयु 24 वर्ष की थी पर वे बाल्यकाल से ही संघ के सम्पर्क में आ गए थे। 1958 से 1962 तक उनकी कर्मस्थली गुजरात रही, और वे वहां कर्णावती में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में चार सांल तक अपनी सेवाएं देते रहे। जब प्रचारक जीवन से निवृत होकर जम्मू अपने गृह नगर लौटे तो उसी साल 1962 में उनकी नियुक्ति गांधी मेमोरियल कॉलेज में प्राध्यापक पद पर हुई। अपनी वैचारिक अवधारणा की प्रतिबद्धता के कारण ही वे जम्मू में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों में संलग्न रहे, जिसके परिणामस्वरूप 1969 में राज्य सरकार ने उनका तबादला कश्मीर के सोपोर कॉलेज में करा दिया। 1971 में उनका स्थानांतरण ऊधमपुर के डिग्री कॉलेज में किया गया, जहां 1972 में उन्होंने प्राध्यापक पद से त्यागपत्र दिया और राजनीति में आ गए। इस बीच

6 मई, 1971 को उनका विवाह हुआ। उनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती रेखा गुप्ता हैं। उनके दो पुत्र और एक पुत्री हैं।

उल्लेखनीय है कि छात्र-जीवन से ही वे राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के अभियान में अग्रसर रहे। जब प्रो० गुप्ता ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थी थे तो सबसे पहले 1951-52 के आसपास गांधी मेमोरियल कॉलेज, जम्मू में तिरंगा फहराने की मांग को लेकर उन्होंने अन्य 30 विद्यार्थियों के साथ 34 दिनों तक क्रमिक भूख हड़ताल की थी और अपनी मांग को मनवाने के लिए अड़िग रहे। यह उन दिनों की बात है जब जम्मू-कश्मीर में तिरंगा फहराना अपराध था; क्योंकि राज्य में अपना अलग विधान, अलग प्रधान और अलग निशान था। समय के साथ-साथ परिस्थितियां बदलीं; संविधान में संशोधन होते रहे। राज्य में अलग प्रधान और अलग निशान की पाबंदी तो हट गई पर आज भी वहां अलग विधान है। यह विशेष अधिकार राज्य को धारा–370 के रहते प्राप्त है। उस समय (1951-52) देश में दो प्रधानमंत्री हुआ करते थे–एक केंद्र में और दूसरा जम्मू-कश्मीर में। बाद में 30 मई, 1965 में जम्मू-कश्मीर में सदर-ए-रियासत और प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया था।

1952-53 में जम्मू-कश्मीर के लोकप्रिय नेता पं॰ प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद का आन्दोलन जम्मू में तीव्र हुआ और *'एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे'* का नारा बुलंद हुआ, तो इस आन्दोलन से प्रो० गुप्ता तटस्थ नहीं रहे। अन्य कार्यकर्ताओं के साथ वे भी आठ महीने तक जेल में रहे और जब 1975 में आपात्काल का दौर आया तो राज्य में जनसंघ के नेताओं की धर-पकड़ में उन्हें भी आठ महीने जेल में रखा गया। तब संघर्ष समिति के माध्यम से आन्दोलन चलाया गया था और प्रो० गुप्ता इस समिति के उत्तरी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश) के प्रभारी रहे थे।

विद्यार्थी जीवन में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बीच 1965 और 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान उन्होंने जवानों के लिए रक्तदान और राहत कार्यशिविर आयोजित कराए। 1990 से 1995 तक प्रो० गुप्ता दो बार जम्मू-कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। ये समय उनके लिए संघर्ष का रहा। इस बीच कश्मीर से आतंकवाद के कारण वहां से पलायन कर आए लाखों विस्थापितों में उन्होंने राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया। 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडित समुदाय का सामूहिक पलायन शुरू हो गया था, तब भारतीय जनता पार्टी एक मसीहा के रूप में उनके सामने आई। इसी दौरान केंद्र सरकार और देश का ध्यान कश्मीर समस्या की ओर केंद्रित करने

के ध्येय को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता डा० मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में 'एकता यात्रा' का आयोजन हुआ था और 26 जनवरी, 1991 को श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया गया। बाद में जम्मू संभाग के डोडा जिले में आतंकवादी गतिविधियों पर अकुंश लगाने के लिए भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई ने 1993 में 'डोडा बचाओ अभियान' चलाया था और लगातार एक पखवाड़े तक भाजपा के शीर्ष नेता हजारों कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए जम्मू पहुंचे थे। इन सभी प्रमुख आंदोलनों में प्रो० गुप्ता की भूमिका उल्लेखनीय रही।

प्रो० गुप्ता ने करीब जम्मू-कश्मीर राज्य, जिसमें लद्दाख के कुछ दुर्गम क्षेत्र भी शामिल हैं, पैदल ही भ्रमण किया है। वे अनेक देशों की जैसे—कनाडा, इंग्लैण्ड और अमरीका की यात्रा भी कर चुके हैं।

वर्तमान में प्रो० गुप्ता लोकसभा के सांसद हैं। लोकसभा की संचालन समिति के अधीन पर्यटन एवं नागर विमान तथा परामर्शदात्री समिति के अंतर्गत आने वाले गृह मामले भी उनके कार्य-क्षेत्र में आते हैं।

—सम्पादक

✦

अनुक्रमणिका

1 संसद में पहला दिन

ऊधमपुर संसदीय क्षेत्र से भारी बहुमत से निर्वाचित होकर पहली बार सांसद के रूप में प्रो० चमन लाल गुप्ता ने *11* जून, *1996* को लोकसभा में अपना प्रथम भाषण दिया। यह संसद में भी उनका पहला ही दिन था। इस प्रथम भाषण ने यह सिद्ध कर दिया कि उस क्षेत्र की जनता ने एक प्रखर, ओजस्वी प्रतिनिधि को संसद में भेजा है जो उनकी, पूरे जम्मू-कश्मीर की और साथ ही देश की ज्वलंत समस्याओं को सदन में निर्भीकतापूर्वक और सटीक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और केन्द्र सरकार का ध्यान प्रमुख मुद्दों की ओर खींच सकते हैं।

10 जून, *1996* को ऊधमपुर संसदीय क्षेत्र के डोडा जिले के कलमाड़ी गांव में रात्रि के *7* बजे सशस्त्र आतंकवादियों ने एक ही परिवार के सात लोगों की निर्मम हत्या कर दी। जम्मू-कश्मीर राज्य में लोकसभा के चुनाव सम्पन्न होने के बाद यह ऐसी पहली अमानवीय घटना थी।

......*11* जून *'96* के दिन लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में शून्यकाल के दौरान केवल डोडा के इस हत्याकांड पर चर्चा करने की आज्ञा दी। प्रो० चमन लाल गुप्ता को यह कहकर अध्यक्ष ने इस हत्याकांड पर बोलने को कहा *'I am allowing prof. Chaman Lal Gupta, because he comes from that constituency.'* [१]

---

१. 'मैं प्रो० चमन लाल गुप्ता को बोलने की अनुमति देता हूं क्योंकि वे उस संसदीय क्षेत्र से हैं।'

11 जून, 96 / लोकसभा :

प्रो० चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल ये जो घटना डोडा जिले में घटी है, उसका मुख्यकारण वहां से शीघ्र सुरक्षा बलों को हटाया जाना ही है आतंकवादियों ने तीन महीने पहले ही यह चुनौती दी थी कि डोडा से सुरक्षा बलों की वापसी के बाद ही वे वहां कुछ न कुछ कर दिखाएंगे।......मैंने यह बात छह दिन पहले अखबारों के माध्यम से कही थी कि चुनावी ड्यूटी के लिए वहां जो अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं उन्हें वहां से न हटाया जाए।

कलमाड़ी में सात लोगों की हत्या :

महोदय, डोडा से सुरक्षा बलों की वापसी शुरू हो गई और कलमाड़ी गांव में यह हादसा हुआ। आतंकवादियों ने 10 जून को रात्रि 7 बजे एक ही परिवार के 7 व्यक्तियों की हत्या कर दी।

महोदय, वहां से सुरक्षा बलों की टुकड़ियां वापस आनी शुरू हो गईं, लेकिन लोगों को इस बात के लिए तैयार नहीं किया गया कि वे आतंकवादियों का मुकाबला कर सकें।

......वहां सुरक्षा बलों के यहां प्रशिक्षण लेने के लिए लोग जाते हैं। उन्हें प्रशिक्षण तो दिया जाता है, पर हथियार नहीं दिए जाते।

.....(व्यवधान)

आतंकवाद से लड़ने के लिए हथियार दिए जाएं :

इस समय भी भद्रवाह में ऐसे दो सौ लोग हैं, जिन्हें आतंकवादियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वे अब दक्ष हो गए हैं, पर उनके पास हथियार नहीं है।...जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, वे अब आतंकवादियों की नजर में आ गए हैं जिस कारण वे अब अपने घरों में भी नहीं जा सकते। हथियार न होने की वजह से वे अब खुद की सुरक्षा भी नही कर सकते।

....(व्यवधान)

इस मामले में मेरा निवेदन है कि वहां पर जब चुनाव के लिए बात की गई थी तो वहां चुनाव कराने का माहौल नहीं था, लेकिन लोगों ने डटकर, हिम्मत करके और आतंकवादियों की हर तरह की चुनौती को कबूल कर चुनावी माहौल बनाने के लिए काम किया और वोट डाले। जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, आतंकवादियों ने उसका इस तरह से जवाब दिया। तो क्या वहां के स्थानीय प्रशासन की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वह स्थिति को भांपते हुए वहां से सुरक्षा बलों को न हटाए जाने की बात कहता।

लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि वहां से सुरक्षा बलों को शीघ्र ही हटाया गया और जिसके नतीजे के तौर पर कलमाड़ी की यह त्रासद घटना हमारे सामने आई।

..........(व्यवधान)

जब तक आप वहां के लोगों को हथियार नहीं देंगे, वहां पर हथियार है, लेकिन दिए नहीं जा रहे हैं। ....(व्यवधान)

तो वहां जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से घुसपैठिए आए हैं वे उनका कैसे मुकाबला कर सकते हैं।..........(व्यवधान)

डोडा से विस्थापन को रोकें :

......कम से कम दस हजार लोग छह दिनों में वहां से माइग्रेट करके आ गए हैं ......आप वहां से माइग्रेशन को रोकना चाहते हैं या फिर कश्मीर की तरह चाहते हैं कि चार लाख लोग और आ जाएं। .....वहां से माइग्रेशन को रोकने का एक ही तरीका है कि वहां स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पूर्ण अधिकार दिए जाएं, वहां सुरक्षा बलों की और तैनाती हो जिससे वहां के लोगों को आराम मिले।

✦

2 कश्मीर में आतंकवाद : पाकिस्तान का अघोषित युद्ध

लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद 'धन्यवाद प्रस्ताव' के विरोध में 27.2.97 को दिया गया भाषण :

प्रो० चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर)। अध्यक्ष जी, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपना भाषण एक ही मुद्दे पर केंद्रित करूंगा और वह है कश्मीर का मुद्दा। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह कहा है—*'The successful conduct of assembly elections and the installation of a popular government in Jammu & Kashmir have been major steps forward in the process of restoration of normalcy'.* [१]

राष्ट्रपति जी का कहना है कि चुनाव होने के बाद जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है, जबकि हम आज तक कश्मीर में नार्मलसी नहीं ला सके। वहां पर प्रतिनिधि सरकार बनी, बहुत अच्छी बात है, बननी भी चाहिए थी, लेकिन चुनाव होने के बाद जितने भी लोग जीतकर आए हैं, उनमें से एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो मतदाता का धन्यवाद करने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में जा सका हो, उनकी समस्याओं का सहभागी हो सका हो। जरूरत तो इस बात की थी कि प्रदेश में नवनिर्वाचित सरकार लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की ओर ध्यान देती, बजाय इसके उसने प्रदेश को 'ग्रेटर ऑटोनामी' जैसी देशघाती मांग को उछाल दिया।

अक्टूबर '96 में प्रदेश में नेशनल कांफ्रेंस की सरकार बनी। दो महीने पहले जो लोग चुनाव लड़ने की जुर्रत नहीं कर पा रहे थे वही

---

१. 'जम्मू कश्मीर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में सफलतापूर्वक विधानसभा का चुनाव और लोकप्रिय सरकार की स्थापना; महत्वपूर्ण कदम रहे हैं।'

दो महीनें बाद दो-तिहाई बहुमत लेकर आए, इस बात का हमें विश्लेषण करना होगा। फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ने तो पहले लोकसभा चुनावों का बहिष्कार किया था।

आज वहां सामान्य स्थिति बहाल होने की बातें हो रही हैं। वर्तमान स्थिति का एक ताजा उदाहरण यह है कि आज फारूक अब्दुल्ला को डोडा में एक बैठक में जाना था लेकिन कल (26 फरवरी) वहां दो बम विस्फोट हुए जिनमें नौ महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। उसी डोडा जिले में कल किश्तवाड़ तहसील में एक और बम विस्फोट हुआ, जिसमें एक जवान शहीद हो गया।

पिछले वर्ष चुनाव होने के बाद जो स्थिति वहां बनी है उसके संदर्भ में कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। गत वर्ष अगस्त मास में आतंकवादी गतिविधियों के कारण जहां 141 जवान शहीद हो गए हैं वहीं सितम्बर में 103, अक्टूबर में 88, नवम्बर में 89, दिसम्बर में 116 तथा जनवरी '97 में 90 व 15 फरवरी '97 तक 49 जवान शहीद हुए हैं। अब यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां की स्थिति में कितना सुधार हुआ है।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' की एक रिपोर्ट में कहा गया है *कि पहले वहां से केवल पंडित समुदाय के लोग ही भगाए गए थे, लेकिन आज 600 से अधिक मुस्लिम परिवारों को भी भगाया गया है। ये छह सौ परिवार आज जम्मू में बैठे हैं। उन्होंने चुनाव में वोट दिया था इसलिए उनके घरों पर गोलियां चलाई गईं, उनकी बहू-बेटियों की इज्जत लूटी गई। अंत में वे मजबूर होकर अपने बाप-दादा की जागीर छोड़कर जम्मू आ रहे हैं।*

'ग्रेटर ऑटोनामी' एक घातक कदम :

पिछले आठ सालों में कश्मीर में आतंकवाद का तांडव नृत्य चल रहा है, इसके कारण वहां से चार लाख से अधिक लोगों को भागना पड़ा, जो इन दिनों अपने ही देश में शरणार्थी बन दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पांच हजार के करीब स्कूल और कॉलेजों की इमारतें जलकर राख हो गईं, दो हजार पुल जलाए गए। कितनी ही मां-बहनों के साथ

दुर्व्यवहार किया गया, कितने ही बच्चे यतीम हुए, कितने ही बूढ़े मां-बाप से उनके हाथों की लाठियां छिन गईं, ऐसे अनेक हादसे गिनाए जा सकते हैं। पिछले आठ वर्षों में वहां तीस हजार लोग मारे गए।

प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले जरूरत तो इस बात की थी कि जिस विद्रोह की वजह से ये सभी समस्याएं पैदा हुईं थीं, उसके साथ लड़ने के लिए सरकार को कोई 'ब्लू प्रिंट' बनाना चाहिए था, देश इस पहल का समर्थन करता। पर हुआ क्या ? फारूक सरकार ने पहली प्राथमिकता आटोनामी (स्वायत्तता) को दी। स्वायत्तता के लिए उसने दो कमीटियों का गठन किया, एक प्रदेश को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए और दूसरी क्षेत्रीय आधार पर स्वायत्तता के मापदण्ड आंकने के लिए। पर प्रदेश में तो स्वायत्तता की मांग कोई नहीं कर रहा है। किसी आतंकवादी गुट ने भी कभी स्वायत्तता की चर्चा नहीं की।

प्रदेश के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ग्रेटर ऑटोनामी (अधिकतम स्वायत्तता) की मांग को जोर-शोर से उठाते रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां स्वायत्तता की यह मांग देश की एकता एवं अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है वहीं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी 'ग्रेटर ऑटोनामी' देने की बातें कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि सरकार कश्मीर को कितनी स्वायत्तता देना चाहती है जबकि पहले ही धारा-370 के रहते प्रदेश को विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद में जो कानून पारित होता है, वह जम्मू-कश्मीर में तब तक लागू नहीं होता, जब तक उसे वहां की विधानसभा पारित न कर दें।[१]

ज़मीन खरीदने का हक नहीं :

इन्हीं विशेषाधिकारों के रहते यदि जम्मू-कश्मीर से इतर देश का कोई भी नागरिक वहां थोड़ी बहुत भी ज़मीन का टुकड़ा खरीदना चाहे तो वहां का कानून उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। मध्य प्रदेश, केरल, असम, बिहार तथा देश के अन्य राज्यों से हमारे नौजवान वहां

---

१. विधानसभा भंग होने की स्थिति में यह अधिकार प्रदेश के राज्यपाल को प्राप्त है।

जाकर सीमा की चौकसी करते शहीद हो सकते हैं लेकिन वहां दो गज ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते। वे अपना ख़ून तो बहा सकते हैं लेकिन थोड़ी बहुत ज़मीन खरीदने की इजाजत उन्हें वहां का अलग कानून नहीं देता। पंचायत राज आज सारे देश में चल रहा है लेकिन कश्मीर में पंचायती राज अपने ही ढंग का चलाया जा रहा है।

गैर-जिम्मेदाराना बयान :

कश्मीर को पहले ही ऐसा विशेष दर्जा दिया गया है कि उसका भुगतान हम भुगतते जा रहे हैं। अपनी पूर्व गलतियों को सुधारने के बजाए हम आज कश्मीर को 'ग्रेटर ऑटोनामी' देने की चर्चा कर रहे हैं। आज चर्चा का केन्द्र वहां की समस्याएं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान के अघोषित युद्ध ने जो कश्मीर में विद्रोह भड़काया है, उसका सामना कैसे किया जाए; इस पर बात होनी चाहिए थी पर ऐसी काल्पनिक बातें कहनी शुरू कर दी गई हैं, जैसी बातें फारूक अब्दुल्ला बोलते जा रहे हैं। संसद के दोनों सदनों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का संकल्प दोहराया था पर फारूक साहब कहते हैं कि *नियंत्रण रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय सीमा मान लिया जाए।* पर क्या यहां कोई केन्द्र की सरकार है भी या नहीं। एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री देश को डिक्टेट कर रहा है। कल (26 फरवरी '97) जब मुम्बई में उनसे (फारूक अब्दुल्ला) पूछा गया कि *आपने यह कहा है।* तो कहते हैं कि *हां! मैंने कहा है, इससे बैटर (उचित) हमको सोल्यूशन (समाधान) बताइए ?* एक और बात उन्होंने विस्थापित कश्मीरी पंड़ितों की 'घर वापसी' के बारे में कही। उन्होंने कहा कि *कश्मीरी पंड़ित वहां से (घाटी से) स्वयं निकल कर आ गए हैं, उनको वापस ले जाना हमारा काम नहीं है, उनको खुद वापस जाना चाहिए, जो नहीं जाएंगे, हम उनको नौकरियों से हटा देंगे।*

अजब तमाशा है कि एक ओर तो सरकार उनकी जिन्दगी की रक्षा नहीं कर पाई, उनकी मां-बहनों की इज्जत लुटी, उनको बचा नहीं पाई और यदि वे वहां से चले आए हैं तो कहा जा रहा है कि वे खुद

चले आए हैं। तो आज जो मुस्लिम परिवार वहां से भाग कर आ रहे हैं क्या वह भी खुद ही आ रहे हैं।

इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री इस तरह के बयान न दें।

तीन बार—1947, '65 और 1971 में हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ चुके हैं और अब चौथी बार लड़ाई लड़ रह रहे हैं। इतना होने के बावजूद स्थिति यह है कि 14 अगस्त के दिन कश्मीर में चिरागां किया जाता है जबकि 15 अगस्त को वहां दीए गुल हो जाते हैं। स्थिति का एक पहलू यह भी है कि हमारे सैनिक जब कश्मीर में किसी गली से गश्त लगाते हुए गुजरते हैं तो कहा जाता है कि 'भारतीय कुत्ते' जा रहे हैं और सरकार दावा कर रही है कि स्थिति सामान्य है !

हमारे देश ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। पाकिस्तान के 93 हजार सैनिक हमारे कैदी थे। एक-तिहाई पाकिस्तान पर हमारा कब्जा था। पर विडम्बना यह है कि जिनकी नीतियों की वजह से आज सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की बदौलत हमने कैदी सैनिकों को वापस किया, जिस भू-भाग पर हमने अपना अधिकार जमा लिया था, उसे भी पाकिस्तान को लौटा दिया। इतना ही नहीं हमने 'दक्षिणा' में छम्ब का क्षेत्र भी वापस दे दिया।

सुरक्षा बलों को पूर्ण अधिकार मिले :

आज डोडा या कश्मीर घाटी में जो कुछ हो रहा है वह जग जाहिर है। चुनाव के बाद डोडा में सुरक्षा बलों ने काम करना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि डोडा 'अशांत क्षेत्र' घोषित हो और उनके हाथ मजबूत किए जाएं, तभी वह आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से निपट पाएंगे और आतंकवादियों के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे।

अफगानिस्तान, सूडान या अन्य देशों से जो भाड़े के आतंकवादी वहां आकर टिके हुए हैं वे वहां सैर करने तो आए नहीं हैं। उनके हाथ में बंदूकें हैं। उनकी बंदूकें बंद करने का दूसरा रास्ता कौन सा है ? अगर सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका

जाता है, उन्हें काम करने की इजाजत नहीं दी जाती तो विध्वंसकारी गतिविधियों पर किसी और तरीके से काबू नहीं पाया जा सकता।

इस बीच मुझे कुछ फौजियों से मिलने का मौका मिला था। उनका कहना था कि *जब केंद्रीय सरकार ने हमारा काम ही बंद करवा दिया है तो हम क्या करें ?* मैंने जब उनसे पूछा कि जब आतंकवादी की गोली आ सकती है तो आपको गोली चलाने से किसने रोका है ? इस बारे में फौजियों ने कहा कि *निश्चित रूप से रोका गया है।*

कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए सेना, सुरक्षाबल व अर्द्ध सैनिक बलों को स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण अधिकार दे देने चाहिए। यह कहना प्रासंगिक होगा कि प्रदेश में जो चुनाव सम्पन्न हुए हैं वह फारूक अब्दुल्ला या प्रधानमंत्री जी की बदौलत नहीं हुए हैं, वे केवल सुरक्षा बलों के बलबूते पर ही हुए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इस बारे में एक भी शब्द इस अभिभाषण में नहीं है। सुरक्षा बलों की बेहतरी और विकास के लिए भी कोई बात इसमें नहीं कही गई और न यह ही कहा गया कि वहां परिस्थितियों में जो सुधार हुआ है वह सुरक्षा बलों की मदद से हुआ है।

हमारे देश के सुरक्षा बल महान हैं, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, उनके ऊपर भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है।

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले :

कश्मीर का पर्यटन उद्योग बिल्कुल समाप्त हो गया है। इस बारे में न तो सरकार, न ही देवगौड़ा जी की ओर से और न ही राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई बात कही गई है।

प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर के लिए जो पैकेज दिया है उसके अंदर दुलहस्ती प्रोजेक्ट के लिए तो तीन हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं जबकि एक रेलवे लाइन के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह भी घोषणा की गई है कि *प्रदेश में **मुगल रोड** भी बनेगा*। मुगल रोड एक ऐसी परियोजना है, जिसको सुरक्षा बलों ने चार बार रद्द करा दिया। सुरक्षा बल सेवा से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि *इस परियोजना को*

अमल में लाना सुरक्षात्मक दृष्टि से खतरनाक साबित होगा। पर इन संवेदनशील बातों की ओर ध्यान न देकर यह कहा जा रहा है कि *"हम मुगल रोड बनवा देंगे।"*

कश्मीर के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं :

कश्मीर भारत का अटूट अंग है और रहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत इसको जुदा नहीं कर सकती; पर देश की अखण्डता को बनाए रखने के लिए हमें वहां ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। 1947 से लेकर आज तक कश्मीर के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई गई। कश्मीर के बारे में हमेशा कभी एक परिवार के हाथ में शासन दिया गया तो कभी दूसरे परिवार के हाथ में। नतीजा हमारे सामने है। सिलसिला ऐसा चला कि कभी शेख अब्दुल्ला को आगे किया गया और बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया, तो कभी बख्शी साहब को नेतृत्व सौंपा गया और उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। इस तरह कभी फारूक अब्दुल्ला के भरोसे प्रदेश की बागडोर सौंपी गई और वक्त आने पर उनको भी पदच्युत कर दिया गया, बाद में उनके बहनोई को मुख्यमंत्री बना दिया था लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया। आज फिर प्रदेश में फारूक सत्तारूढ़ हुए हैं। यदि केंद्र सरकार कश्मीर के साथ ऐसी ही ढुल-मुल नीति अपना कर वहां की स्थिति से इस तरह से निपटेगी तो इससे कश्मीर की समस्या सुलझने के बजाए और उलझती जाएगी।

अजीब स्थिति यह है कि जब फारूक अब्दुल्ला ने कहा— *"वास्तविक नियंत्रण रेखा ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बने।"* तो देवगौड़ा साहब ने कहा—'*We can have a minor adjustment.*' [१] । बाद में इस कथन का खंडन किया गया था।

कश्मीर की परिस्थितियों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए केंद्र को स्पष्ट नीति अपनानी पड़ेगी, तभी कश्मीर भारत का अटूट अंग रह सकेगा। पाकिस्तान ने खुफिया एजेंसी आई. एस. आई. के माध्यम से कश्मीर में जो 'अघोषित युद्ध' छेड़ा है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के

---

१. "हम मामूली समायोजन कर सकते हैं।"

लिए देश एकजुट हो सके; इसके लिए जरूरी है कि देश के नेता जो भी वक्तव्य दें, देश की आन-बान और शान को मद्देनज़र रखकर दें, जिससे देश का मनोबल ऊंचा उठे। हमारे देश के जवान जो कश्मीर में अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं, उनका मनोबल न गिरे, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

महोदय, अंत में मैं एक बार फिर इस 'धन्यवाद प्रस्ताव' का जबरदस्त विरोध करता हूँ।

✦

3 घुसपैठ और तस्करी

भारत–पाक सीमा पर बढ़ रही घुसपैठ और आर.डी.एक्स. की तस्करी पर 9-5-97 और 30-7-97 को लोकसभा में दिए गए भाषण पर आधारित :

...कश्मीर एक तौर से घुसपैठियों की लेबोरेटरी बना हुआ है। पाकिस्तान द्वारा 1947, 1965 और फिर 1971 में वहां घुसपैठ की कोशिश की गई। सन् 1989 से आज तक वहां विद्रोह का माहौल चल रहा है। घुसपैठ से क्या नतीजा होता है श्री मकबूल डार इसके स्वयं भुक्तभोगी हैं। अगर गृह राज्यमंत्री को अपने घर जाना होता है तो कम से कम सौ सुरक्षाकर्मी उनके साथ होते हैं। ....घुसपैठ का क्या मतलब है यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी देश अपने लोगों की दूसरे देश में किसी खास मकसद से घुसपैठ कराता है। आज जो स्थिति हमारे सामने बनी हुई है, उसका आरंभ भी घुसपैठ से ही हुआ है। कुछ लोग पहले कश्मीर में घुसकर टिके और उसके बाद हथियार आए। हथियारों के आने के बाद से सारा कश्मीर जल रहा है। कश्मीर में सेना ने आतंकवादियों के कब्जे से 40 हजार के करीब ए. के. 47 राइफलें पकड़ी हैं। हजारों नौजवान शहीद हो गए। चार लाख लोग विस्थापित होकर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुए हैं।

हिन्दू-मुस्लिम का प्रश्न नहीं :

यहां पर यह चर्चा की गई कि बद-किस्मती से इसे हिन्दू-मुस्लिम का प्रश्न बना दिया जाता है। मुस्लिमों को ही बाहर निकालना चाहिए ऐसा कोई नहीं कह रहा है ! सवाल बाहर वालों का है। हम जब इस बात को उठाते हैं कि हमारे देश में जो लोग गैर-कानूनी तौर से रह

रहे हैं उन्हें बाहर करना चाहिए, तो हल्ला मचने लगता है। अगर बाहर से लोग कानूनी रूप से आते हैं तो वे आएं और थोड़े दिन रहकर फिर वापस चले जाएं। लेकिन जो किसी मकसद को साथ लेकर आते हैं और यह सोचकर आ रहे हैं कि इस देश को डेमोग्राफिकली (जनसांख्यिकीय) बदल डालेंगे, तो उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। ऐसी घुसपैठ के नतीजे हम असम और पूर्वोत्तर राज्यों में देख चुके हैं।

श्री बनातवाला साहब इस समय सदन में बैठे हैं। उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे पास 1995 के अखबार की कतरन है जिसमें लिखा है कि *सऊदी अरब ने 1900 भारतीय मुसलमानों को रातोंरात निकाल बाहर किया। इसके बाद 20,000 बंगलादेशी मुसलमानों को खदेड़ कर बाहर कर दिया गया।* उन्हें जहाजों से भेज दिया गया, मगर उस समय किसी ने भी जुबान नहीं खोली, किसी ने नहीं कहा कि मुसलमानों को निकाला जा रहा है ! मगर जब हमारे देश में घुसपैठ होती है और घुसपैठियों को निकालने की बात होती है तो समस्याएं क्यों खड़ी की जाती हैं ?

इस घुसपैठ के पीछे मकसद बिल्कुल साफ है। इस मामले में हिन्दू और मुसलमान का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। सीधी बात करनी चाहिए कि जो विदेशी हैं, वे विदेशी हैं। क्या कोई भारतीय अमेरीका या कनाडा में गैर-कानूनी ढंग से रह सकता है ?..नहीं। यह मामला भी उठाया गया कि जो मुस्लिम इस तरह आते हैं उन्हें घुसपैठिए कहा जाता है और हिन्दू आते हैं तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि इस मामले को हिन्दू और मुसलमान के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, जो विदेशी हैं, उनको विदेशी कहना पड़ेगा, जो दूसरे देश से किसी मकसद के साथ हमारे देश में आए हैं, वे हमारे मेहमान नहीं बन सकते।

ममता जी ने गृहमंत्री के वक्तव्य को चुनौती दी है। वे पश्चिम बंगाल से आती हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार की रिपोर्ट है कि 1991 में ऐसे 50 लाख लोगों की शिनाख्त की गई

है जिनको सरकार ने विदेशी घोषित किया। आज 1997 बीत रहा है। केवल पश्चिम बंगाल में ही एक लाख से अधिक ऐसे विदेशी आकर बस गए हैं।

सीमा सील करने के कार्य में प्रगति नहीं :

इस सारे मसले में मेरा इतना ही निवेदन है कि हमें अपनी सीमाओं को सील करना पड़ेगा। कोशिश तो होती रही है कि विदेशी घुसने नहीं पाएं, लेकिन कृतसंकल्प होकर जैसी कोशिश होनी चाहिए थी, वह होती नहीं है।

हमने पंजाब की तरफ से भारत-पाकिस्तान सीमा को सील किया। जम्मू-कश्मीर की ओर सीमा को सील करने की बात कही गई। जैसे ही सीमा को सील करना शुरू किया गया तो पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी शुरू हो गई। केंद्र के कहने पर काम को रोक दिया गया और बाड़ पीछे हट कर लगाने का निश्चय हुआ, लेकिन ऐसा करने पर भी पाकिस्तान की ओर से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। केंद्र के कहने पर फिर सीमा सील करने का काम रोक दिया गया। सीमा पर जो सामान पहुंचाया गया था, वह सारा पाकिस्तानी उठाकर ले गए। 1996 में इस कार्य पर तीन करोड़ रुपए खर्च किए गए।

जब मैंने प्रश्न संख्या–557 के माध्यम से केंद्र सरकार से यह जानना चाहा कि सीमा पर कार्य में कितनी प्रगति हुई है तो मुझे बताया गया कि ***'The scheme for financing flood lighting of the international border in the Jammu sector was sanctioned on the 28th March, 1995 and an expenditure of Rs. 17.72 crore was incurred. But the work had to be stopped in July, 1995 due to heavy firing from Pakistan side.'*** [१]

---

१. 28 मार्च, 1995 को जम्मू क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फलड लाइट लगाने के लिए एक योजना को मंजूरी दे दी गई थी और इस योजना पर 17.72 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी होने के कारण जुलाई, 1995 में इस काम को रोक देना पड़ा। (27-2-97 / लोकसभा)

यह कहां तक उचित है कि पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से हमने सीमा पर कार्य को रोक दिया। सरकार ने तो काम रोककर 17.72 करोड़ डुबो दिए।

आर. डी. एक्स की तस्करी :
(दिनांक : 30.7.97)

भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने और फ्लड लाइट के कार्य को रोक देने में पाकिस्तान सफल हो गया। परिणामस्वरूप सीमा पर घुसपैठ बढ़ी। सीमापार से आर. डी. एक्स की बहुत अधिक तस्करी शुरू हो गई। पिछले सप्ताह में एक क्विंटल आर. डी. एक्स. जम्मू के अंदर पकड़ा गया। अगर यह घुसपैठियों के काम में आ जाता तो पूरे जम्मू क्षेत्र को उड़ाने के लिए काफी था।

इस बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि जिन पुलिस अधिकारियों ने इस आर.डी.एक्स. को पकड़ा है उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आखिर हमारा बार्डर इतना पोरस (सुराख वाला) कैसे है, क्यों है ? जबकि सीमा पर पहले बी. एस. एफ. है, उसके बाद आर्मी है और फिर हमारी पुलिस। आखिर घुसपैठिए सुरक्षा की तीन-तीन परतों को लांघ कर कैसे सारे के सारे हथियार और तबाही मचाने वाला इतना आर. डी. एक्स. लेकर घुसते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो पोरसनेस बार्डर में आई है इसकी तरफ हम ध्यान दें।

राजौरी और पुंछ इलाके में आतंकवाद :

जब से जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनी है तब से राज्य में वहां पर भी आतंकवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया है जो क्षेत्र आतंकवाद से बिल्कुल अछूते थे विशेषकर राजौरी और पुंछ इलाकों में आतंकवाद ने भयानक रूप धारण कर लिया है। इसी सप्ताह स्वर्णकोट गांव के पास गुंथल गांव में तीन मुस्लिम नौजवानों का अपहरण किया गया है। इनमें एक को गांव के बीच सबके सामने जिन्दा जलाया गया और दूसरे का सिर काट कर उसकी लाश सड़क पर फेंकी गई । तीसरे के साथ

क्यां हुआ अभी तक इसका कोई पता नही चल सका है। हमारी सरकार इन तथ्यों को भी बाहर नहीं आने देती है।

इसलिए मेरा गृहमंत्री जी से निवेदन है कि वे विशेष रूप से राजौरी और पुंछ की तरफ ध्यान दें।

निहित स्वार्थ पैदा न हों :

कई बार बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि जो जवान सीमा पर तैनात किए जाते हैं उनमें निहित स्वार्थ पैदा हो जाते हैं, सीमा सुरक्षा बल (बी. एफ. एस.) के बारे में कई बार ऐसा कहा गया। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उनमें निहित स्वार्थ क्यों पैदा हो जाते हैं? किसी भी तरह से उनके निहित स्वार्थ पैदा नहीं होने चाहिए सीमा पर सही मायने में सुरक्षा होनी चाहिए। जितने भी घुसपैठिए घुस आए हैं अगर उनको जबरदस्ती यहां से निकालना भी पड़े; तो निकालना चाहिए।

✦

4 सीमा पर पाकिस्तान की गोलाबारी

भारत–पाक सीमा पर लगातार पाकिस्तान की ओर से अकारण हो रही गोलाबारी के मद्देनज़र 11.3.97 और 4.8.97 को दिए गए भाषण पर आधारित :

दिनांक : **11.3.97 / लोकसभा**

पिछले एक साल से पाकिस्तान जम्मू और कठुआ जिले में हमारी सीमाओं पर लगातार गोलाबारी कर रहा है। हमारी सेकेंड डिफेंस लाइन[१] में, सीमा पर जो लोग बसे हुए हैं वे सरकार की तरफ से बिना किसी तरह का पैसा लिए हुए अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति यह बनी हुई है कि पिछले छह महीनों से सीमा पर रह रहे किसान अपनी ज़मीन-जायदाद को छोड़कर पीछे आ चुके हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी में करीब 50 लोग जख़्मी हो चुके हैं। वहां घरों के भीतर गोलियां आ रही हैं।

यहां मैं गृहमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि या तो सेना को खुली छूट दें कि वे पाकिस्तान की गोलाबारी का जवाब दें, या कम से कम सीमा पर टिके हुए लोगों की हौसला अफजाई करें।.....इन्होंने सीमा पर तार लगाने की भी बात कही थी लेकिन वह तार लगाने का काम भी बंद हो चुका है। उधर कठुआ व जम्मू जिले से विशेषकर रामगढ़ का अब्दुलियां गांव पूरा खाली हो रहा है।

मैं गृहमंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वे इस पर बयान देंगे।

दिनांक : **4.8.97 / लोकसभा**

...मैं रक्षा मंत्री का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। इन्होंने बहुत बार भाषण देते हुए कहा है कि हमारी सेनाएं

१. दूसरी रक्षा पंक्ति।

पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाब देने में सक्षम हैं। मैं अभी जम्मू से आया हूं। वहां कठुआ से लेकर छम्ब तक 150 किलोमीटर की सीमा पर लोग अपना घर-बार छोड़कर पीछे हट रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान पिछले 6 महीने से लगातार गोलाबारी कर रहा है। रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हमारी फौजें उसका जवाब दे रही हैं लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर हमारी माताओं को घर में रोटियां पकाते हुए भी गोलियां लगी हैं। वहीं हमारे 40 मवेशी भी पाकिस्तान की गोलियों से मारे गए हैं। बहुत सारे लोग जख़्मी हुए हैं। खासतौर से परगवाल का क्षेत्र, जो कि तीन तरफ से तो दरिया से घिरा हुआ है और जिसके चौथी तरफ पाकिस्तान है। वहां की बीस हजार आबादी पूरी तरह से पाकिस्तान के इन रेंजरों की मर्सी (दया) पर बैठी हुई है।

किसानों को मुआवजा मिले :

ऐसे हालात वहां बन रहे हैं जिनके कारण सीमा पर बसे हुए लोग अपना घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप (रक्षा मंत्री) इस पर ध्यान दें और खासतौर से जितनी हमारी सेनाएं हैं उनको आदेश दें कि वे पाकिस्तान की गोलियों का जवाब गोलियों से दें। जवाब नहीं देने के कारण ही लोग परेशान हैं। बहुत सारे गांव; विशेषकर परगवाल, रणबीसिंहपुर, कठुआ और हीरानगर के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव ऐसे हैं जहां के लोग अपना घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। साथ ही, हजारों एकड़ भूमि ऐसी है जहां पर फसल लग नहीं पा रही है। इससे करोड़ों रूपए का नुकसान हो रहा है। ग्रामीण अनाज बो नहीं पाते हैं, वे जैसे ही अनाज बोने के लिए जाते हैं तो गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। इस कारण वहां किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं।

मैं रक्षा मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। विशेषकर अनाज पैदा नहीं करने के कारण लोग परेशान हैं; जो किसान अनाज बो नहीं पा रहे हैं, सरकार को चाहिए कि उनकी क्षतिपूर्ति करे।

✦

कश्मीर में अमरीका का दखल अनुचित

कश्मीर के मामले में दूसरे देश के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए 27.2.97, 11.8.97 और उससे पूर्व 2.8.96 को दिए गए भाषण पर आधारित :

अमरीकी राजदूत का कश्मीर दौरा :
(27 फरवरी, 1997)

आज से नहीं वरन् 1947 से ही एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। अमरीका और उसके साथी देश इसी कोशिश में है कि किसी न किसी तरह से कश्मीर में गड़बड़ी चलती रहे। पिछले दिनों वहां अमरीका के राजदूत श्री फ्रेंक विजनर गए थे। वे वहां के सैनिक जनरलों से मिले, सेना के साथ बातचीत की। उन्होंने वहां जाकर भाषण भी दिया। पर ऐसा करने की उन्हें किसने अनुमति दी, जबकि गृह-मंत्रालय ही किसी दूसरे देश के एम्बेसडर के कार्यक्रम निर्धारित करता है। कौन सा देश ऐसा है जहां सेना के जनरलों को किसी एम्बेसडर से मिलने की इजाजत दी जाती है ? भारत में ऐसा हो रहा है।

कहना यह चाहिए कि आज कश्मीर में जो षड्यंत्र चल रहा है। इसका संचालन अमरीका कर रहा है। उधर अमरीका और इधर पाकिस्तान की यह मंशा है कि कश्मीर को भारत से अलग किया जाए। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस षड्यंत्र में देश के अंदर भी कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं।

हकीकत तो यह है कि श्री फ्रेंक विजनर ने हुर्रियत नेताओं से बातचीत की। इन हुर्रियत वालों की मंशा स्पष्ट है। इन्होंने कभी इस बात को माना ही नहीं कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, और वही लोग अब दिल्ली और जम्मू में हुर्रियत कांफ्रेंस का दफ्तर खोल रहे

हैं। आखिर जो लोग देश विरोधी प्रचार कर रहे हैं, उन्हें देश की राजधानी में भी दफ्तर खोलने की अनुमति कौन दे रहा है? प्रश्न यह है कि सरकार का कोई वर्चस्व है भी या नहीं ?

यह बात प्रस्थापित होनी चाहिए कि सरकार देश की सुरक्षा के प्रति जवाबदेह है या नहीं ? इस मामले में भी सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि जो भी कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ बोलता है, कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानता, उसे देश के भीतर रहने का हक क्यों है और कैसे है ?

2 अगस्त, 1996 :

......अमरीका के एम्बेसडर कश्मीर में आतंकवादी नेताओं से मिलते हैं, वहां के राजनीतिक नेताओं, सरकार के अधिकारियों से विचार-विमर्श करते हैं। पिछले एक सप्ताह से वहां यही उठा-पटक चल रही है। कल यही एम्बेसडर उधमपुर आएंगे और फिर जम्मू जाएंगे। एक प्रकार से अमरीकी एम्बेसडर का यह अनौपचारिक दौरा, औपचारिक दौरा बन गया है। पिछले डेढ़ महीने से वे वहां (कश्मीर) के एक गेस्ट हाऊस में ठहरे हैं। वे वहां क्या कर रहे हैं ? क्या चाहते हैं ?

हम सरकार से जानना चाहते हैं कि अमरीका क्या सांठ-गांठ कर रहा है ? अमरीका को कश्मीर से क्या लेना देना है, वह कश्मीर में क्या करना चाहता है ?

दूसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं :
(11 अगस्त, 1997)

संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है, इसके बावजूद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वह सब हम जानते हैं। ...अमरीका की तरफ से बार-बार दखलअंदाजी हो रही है। अमरीका हमेशा से ही इस चाल को लेकर चल रहा है कि वह वहां एक इंडीपेंडेंट कश्मीर (स्वतंत्र कश्मीर) बनाना चाहता है और इसी नीति के तहत वह समय-समय पर अपनी पॉलिसी

बयान करता रहता है।

मैं चाहता हूं कि इस सदन को स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया जाए कि जो बात लाल किले की प्राचीर से कही गई थी या जो प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ था, उस पर सरकार आज भी कायम है। हम कश्मीर के बारे में किसी भी तरह से दूसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो उसने (अमरीका ने) बड़ी अजीब बात कह दी है। वह कहता है कि पाकिस्तान भी इसमें हिस्सेदार है, कश्मीर के लोगों और भारत से मिलकर इस बारे में पूछना चाहिए। एक तरफ अमरीका शिमला समझौते को मानता है तो दूसरी ओर इस तरह की भ्रांतियां पैदा कर रहा है !

मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए साफ तौर पर इस बात को दोहराए कि *हम किसी भी कीमत पर कश्मीर के बारे में किसी दूसरे देश को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे।.....*

✦

6 धारा-370 की समाप्ति ही कश्मीर मसले का हल

स्वतंत्रता की स्वर्णजयंती के अवसर पर संसद के विशेष अधिवेशन के दौरान 28 अगस्त, 1997 को लोकसभा में कश्मीर मसले के हल के संदर्भ में प्रो० गुप्ता का दिया गया भाषण :

...पिछले तीन दिनों से लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि 50 वर्षों में देश ने क्या पाया और क्या खोया। देश के सामने जो समस्याएं हैं, हमारे श्रेष्ठ नेताओं ने उनको भी उजागर किया है और उनके कुछ समाधान भी सुझाए हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि जिस प्रदेश से मैं हूं वह जम्मू-कश्मीर आज देश की सबसे ज्वलंत समस्या बना हुआ है उसका उल्लेख इस चर्चा में न आए, तो यह चर्चा अधूरी रह जाएगी।

पिछले 50 वर्षों में कश्मीर पर पाकिस्तान ने तीन बार (1947, 1965, 1971) आक्रमण किया है और यह चौथी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उस पहली लड़ाई में बहुत कम, मुट्ठी भर सैनिक लेकर जिन वीरों ने पाकिस्तान के दरिंदों का सामना किया था, उनमें ब्रिगेडियर राजिन्द्र सिंह, ब्रिगेडियर उस्मान, शेरवानी ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, जिनको मैं आज नमन करना चाहता हूं।

इन दिनों भी पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में है कि वह भारत की एकता और अखंडता को तोड़े। इसी कारण वह बार-बार कश्मीर पर आक्रमण करता रहा है। हमारी इस बुकलेट में जिक्र आया है कि वहां हिंसा के कारण दस हजार के करीब लोग मारे गये हैं। मैं इसमें और बातें जोड़ना चाहता हूं।

आज भी कश्मीर के चार लाख लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वे अपने पैतृक घरों से निकाल दिए गए हैं। आज भी वहां विचित्र

स्थिति बनी हुई है। एक तरफ तो पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करता है तो दूसरी ओर हमारा देश पाकिस्तान के साथ वार्तालाप कर रहा है बार-बार पाकिस्तान से पीस ट्रीटी (शांति समझौता) करने के लिए कहा जा रहा है। अजीब स्थिति है कि पाकिस्तान लगातार हथियार भेजता चला जाए, सीमा पर आक्रमण करता चला जाए, आतंकवादियों को पैसा भेजता चला जाए, सब तरह के लोगों को प्रशिक्षित करके कश्मीर के अंदर भेजता चला जाए और हम उसके साथ सुलह की संधि करने के लिए तैयार बैठे रहें !

पिछले दिनों प्रधानमंत्री कश्मीर गए थे। उस समय उन्होंने वहां एक भाषण दिया था और उग्रवादियों का आह्वान किया था *"मैं आपसे अनकंडीशनल (बिना किसी शर्त के) बात करना चाहता हूं।* और उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि—*''जब तक ये लोग हथियार नहीं छोड़ेंगे, तब तक इनसे बात नहीं होनी चाहिए।''* इन दो वक्तव्यों में इतने कंट्राडिक्शन्स (विरोधाभास) क्यों है जिसके बारे में हमें सावधान रहने की जरूरत है।

धारा-370 को हटाना ही होगा :

प्रधानमंत्री जी दो बार श्रीनगर गए। पहली बार 2500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट देने के लिए गए थे और दूसरी बार एक सम्मेलन में। दोनों बार पूरी वादी में हड़ताल रही, कहीं पर एक रेहड़ी तक नहीं चली। क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि आखिर ये सब किन कारणों से होता है ? जहां हम अन्य विषयों के बारे में चर्चा करते हैं वहां इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि कश्मीर और शेष देश के बीच जो धारा-370 की दीवार है, जब तक हम उस दीवार को नहीं हटाएंगे, तब तक ख्वामख्वाह की जो चर्चा हम यहां कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं होगा। कश्मीर सही अर्थों में यदि देश का अटूट अंग है तो फिर इस तरह की धारा की वहां कोई आवश्यकता नहीं है, उसके समाप्त किए बिना हमारा काम नहीं चलेगा। सिर्फ शब्दों में यह कह देने से कि कश्मीर *इंटीग्रल पार्ट* है, देश का अटूट अंग है इतने से

काम नहीं चलेगा। आखिर यह जो सब कुरीतियां पैदा करने वाले नौजवान वहां खड़े हो गए हैं, इन्होंने देश के खिलाफ एक तरह का विद्रोह किया है इस का प्रतिउत्तर हमें खोजना ही चाहिए।

मौलिक अधिकारों में भेदभाव :

सारे सदन में सारी बहनें महिलाओं के अधिकारों के लिए बाकायदा एक युद्ध लड़ रही हैं, परन्तु जम्मू-कश्मीर में महिलाओं की क्या स्थिति है इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। कश्मीर की कोई महिला यदि दिल्ली के किसी नवयुवक के साथ विवाह कर लेती है तो वह अपने राज्य के दूसरे अधिकार खो देती है। दूसरी ओर कश्मीर का नौजवान यदि दिल्ली की किसी लड़की के साथ विवाह करता है, तो उसके अधिकार सुरक्षित है ! फंडामेंटल डिसक्रिमिनेशन (मौलिक अधिकारों में भेदभाव) वहां आज भी दिखाई दे रहा है, पर हमारा संविधान किसी भी तरह से इन सब चीजों को रोकने के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहा है। ...1947 में पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी जो पचास वर्षों से जम्मू में रह रहे हैं उन्हें आज भी वहां की एसेम्बली चुनावों में वोट देने का अधिकार नहीं है। आखिर ये किन कारण से ?

रीजनल कौंसिल बनें :

15 अगस्त को हमने सारे देश में आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई। पर लद्दाख में स्वर्ण जयंती के दो समारोह हुए, एक वहां की ऑटोनामस कौंसिल ने मनाया और दूसरा समारोह जम्मू-कश्मीर के पर्यटन मंत्री अजात शत्रु साहब ने जाकर मनाया। रीजनल डिफरेन्सेज (क्षेत्रीय मतभेद) इस हद तक बढ़ गए हैं कि एक राष्ट्रीय समारोह भी हम इकट्ठे नहीं मना सकते।

जम्मू-कश्मीर की सरकार आज भी **ऑटोनामी** की चर्चा करती है, पर किस तरह की ऑटोनामी वह देना चाहती है ? धारा-370 के रहते संसद कोई कानून पास करता है तो वह उस प्रदेश में लागू नहीं होता। इससे बड़ी ऑटोनामी किसी प्रदेश को क्या मिल सकती

है, लेकिन फिर भी वहां, पर चर्चा हो रही है कि राज्य को ऑटोनामी मिलनी चाहिए। पर वास्तव में आज वहां स्थिति ऐसी है कि लद्दाख इस बात की मांग कर रहा है कि वह क्षेत्र केंद्र शासित हो जाए, जम्मू में डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को लेकर ही आवाज खड़ी हो रही है कि जम्मू को पूर्णतया भारत के साथ विलीन किया जाए, कश्मीर के अंदर अलगाववाद है।

हमने तीनों क्षेत्रों के लिए यह सुझाव दिया था कि तीनों क्षेत्रों में रीजनल कौंसिल (क्षेत्रीय परिषद्) बन जानी चाहिए। इसके पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि जितना भी पैसा केंद्र से वहां जाता है वह सारा का सारा इस तरीके से खर्च हो कि तीनों क्षेत्रों में से किसी को एक दूसरे से शिकायत न रहे। जो क्षेत्रीय तनाव वहां पर बना हुआ है, वह हम किसी न किसी तरीके दूर कर सकें।

✦

अमरनाथ यात्रा : 1996 की त्रासदी

वर्ष 1996 के अगस्त मास में वार्षिक अमरनाथ यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति और सरकार की लापरवाही की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रो० चमन लाल गुप्ता :

दिनांक : **26.8.96**

...मैंने पहले भी अमरनाथ यात्रा का मुद्दा सदन में उठाया था। उस समय प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे। अभी चटर्जी साहब ने कहा है कि *अमरनाथ यात्रा सारे देश की यात्रा है, यह यात्रा देश की एकता और अखण्डता को प्रकट करने वाली यात्रा है, लोग रामेश्वरम से जल ले जाकर अमरनाथ पर चढ़ाते हैं।* मैंने उस समय बताया था कि यात्रा के दिनों में वहां पर 15 रुपये में चाय का एक कप बिकता है। यात्री को एक कम्बल का किराया दो सौ रुपये देना पड़ता है। उस समय मैंने इस मामले पर सरकार से प्रार्थना की थी कि वहां पहले ही कुछ प्रबंध किए जाने चाहिए। इस बार की यात्रा रिकार्ड यात्रा थी। एक तरफ उग्रवादियों ने चुनौती दी थी तो दूसरी ओर सारे देश ने उस चुनौती को कबूल किया था। करीब डेढ़ लाख यात्री 16 अगस्त को ही जम्मू पहुंच चुके थे।

प्रशासन की लापरवाही :

पर यात्रियों के इतनी संख्या में पहुंचने के बाद भी सरकार ने इस यात्रा और यात्रियों को बहुत कैजुयल तरीके से लिया। यात्रियों की देख-रेख के प्रति कैसी उदासीनता दिखाई गई, यह ध्यान देने योग्य है। जम्मू-कश्मीर सरकार में प्रशासन नाम की कोई चीज तो है ही नहीं,

और उन्हें ही इस यात्रा का प्रबन्ध सौंपा गया। अनंतनाग के डी. सी. को इस यात्रा का प्रबंध सौंपा गया था। मगर उनका जो अपना स्टाफ था, वह भी सहयोग देने को तैयार नहीं था और न ही कोई अतिरिक्त स्टाफ वहां पहुंचाया जा सका था, जो कि कुछ प्रबंध करता।

हम सब जानते हैं कि जम्मू से पहलगांव तक वाहन जा सकते हैं और उसके बाद अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए करीब 50 कि॰मी॰ की यात्रा पैदल तय करनी पड़ती है। इस यात्रा मार्ग में पिसु घाटी आती है, जहां पर यात्रियों को 15 हजार फीट की ऊंचाई तक पहुंचना पड़ता है। मार्ग में चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी आदि सारे इलाके पूरी तरह से बर्फ से ढके रहते हैं। ऐसी कठिन यात्रा के लिए सरकार ने जो प्रबंध किया था वह केवल बीस हजार यात्रियों के लिए ही था जबकि वहां डेढ़ लाख यात्री पहुंच चुके थे।

अमरनाथ यात्रा-मार्ग का मौसम 22 अगस्त को ही बिगड़ चुका था और यात्री आगे बढ़ चुके थे। मौसम वहां पहले भी बिगड़ते रहे हैं पर इतनी दुर्गम यात्रा के लिए जो प्रबंध किए जाने चाहिए थे उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी। नतीजा यह हुआ कि मौसम बिगड़ते ही यात्री यात्रा-मार्ग में ही फंस गए और अफरातफरी मच गई। पर इस स्थिति से निपटने के लिए जम्मू में भी कोई कंट्रोल रूम (नियंत्रण कक्ष) नहीं था। बाद में 25 अगस्त को रेडियो पर दो बजे के बुलेटिन में बताया गया—*श्रीनगर में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।* विडंबना यह है कि यात्रियों के मरने की खबरें 22 अगस्त से ही मिल रही थीं और 25 अगस्त को श्रीनगर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन वहां कितना ढीला था।

विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था :

इस बीच 24 अगस्त को सरकार की ओर से घोषणा की गई कि यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी और यात्रियों की वापसी के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेनें लगा दी गई हैं। इसके बाद जम्मू स्टेशन पर

15 हजार यात्री पहुंच जाते हैं। रात के 11 बजे स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई थी पर डेढ़ बजे रात तक भी वहां प्लेटफार्म पर ऐसी कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं थी। आज (26 अगस्त) भी वहां से 8 स्पेशल ट्रेनें चलाने का समाचार अखबारों में छपा है मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी स्पेशल ट्रेन जम्मू स्टेशन से नहीं चली है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि कल (25 अगस्त) ही तीन दिन के बाद प्रदेश के राज्यपाल दिल्ली से जम्मू लौटे हैं, राज्य के मुख्य सचिव दिल्ली में हैं, स्थिति से निपटने के लिए जम्मू में डिविजन कमिश्नर भी उपलब्ध नहीं है। एक सकलानी जी के सिवाय कोई नज़र नहीं आता पर हम जानते हैं कि वे भी वहां स्थिति से कैसे निपट सकते हैं। राज्य में एक भी अधिकारी ऐसा उपलब्ध नहीं था जो कि सेना से सम्पर्क करता और इस स्थिति से निपटने के लिए उसे बुलाता। पर सरकार ने इस यात्रा को पहले ही कम करके आंका था और उसके नतीजे हमारे सामने आए।

सेकुलर यात्रा :

जिस धर्मनिरपेक्षता की यह सरकार दुहाई देती है उसी धर्मनिरपेक्षता की एक प्रतीक है यह अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ गुफा में जितना भी चढ़ावा चढ़ता है उसको तीन भागों में बांटा जाता है, एक भाग मंदिर के पंडितों को मिलता है, दूसरा भाग छड़ी लेकर जाने वाले महंत को और तीसरा अंश वहां के एक मलिक मुस्लिम परिवार को।

कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा-मार्ग में पड़ी लाशें हेलीकाप्टरों से उठाई जा रही हैं। मगर मेरी जानकारी में वहां 60 लाशें जला दी गई हैं; जो लाशें मिल रही हैं, उन सबको भी जलाया जा रहा है। यात्रियों की लाशें उनके सम्बन्धियों तक पहुंच सकें, इसका कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस संबंध में सरकार की जितनी निंदा की जाए, वह कम है।

मेरा निवेदन है कि जितने भी यात्री मरे हैं उनकी लाशें उनके

परिवार तक पहुंचाने का प्रबंध सरकार करे, क्योंकि हवाई जहाज़ों द्वारा लाशें लाने के लिए उनके सम्बन्धियों के पास पैसा नहीं है। यह सरकार की जिम्मेदारी भी है। वहां पर रिलीफ देने का प्रबंध भी सरकार को तुरंत करना चाहिए क्योंकि जो यात्रा-मार्ग में फंसे हुए हैं उन तक न तो खाना पहुंच पा रहा है, न दवाइयां। फूड पैकेट वहां दूसरी राज्य सरकारें[१] पहुंचा रही हैं।

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच का सम्पर्क टूट चुका है। मार्ग में सड़कें टूट चुकी हैं। मार्ग अवरुद्ध हो गया है। कश्मीर को देश के साथ जोड़ने वाला यह एक ही सड़क मार्ग है, इसको तुरंत युद्ध स्तर पर ठीक करना चाहिए। यदि यह कार्य जम्मू-कश्मीर सरकार पर छोड़ दिया जाता है तो शायद यह काम एक महीने तक भी पूरा नहीं हो पाए।

अमरनाथ यात्रा की त्रासदी और बाद में स्थिति से निपटने के लिए सरकार की असफलता को देखते हुए इस मामले में मेरा **स्थगन प्रस्ताव** स्वीकार किया जाए ताकि सदन में इस पर विस्तार से बहस हो सके।

30 अगस्त '96 को अमरनाथ त्रासदी के बारे में गृहमंत्री के वक्तव्य से सहमत न होने पर प्रो० गुप्ता ने कहा :

...40 वर्षों तक लगातार विपक्ष में रहने के बाद आज गृहमंत्री जी इतनी जल्दी ब्यूरोक्रैसी के कैदी बन जाएंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ब्यूरोक्रैसी ने जितनी रिपोर्टें इन्हें दी हैं उसी के अनुसार वे बोलते जा रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा। परसों, 28 अगस्त को, महाराष्ट्र के दो मंत्री श्री दौलत राव अहीर और श्री चन्द्रकांत खरे श्रीनगर पहुंचे थे। वे श्रीनगर से पहलगांव जाना चाहते थे। वे अपने साथ बहुत सारी दवाईयां और सामान आदि लेकर आए थे। हमारी सरकार उन्हें पहलगांव तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं कर सकी, अतः वे जम्मू वापस आ गए। जम्मू में उन्होंने महाराष्ट्र के कम से कम पांच हजार

---

१. महाराष्ट्र और राजस्थान सरकारें आदि।

लोगों से मुलाकात की।

गृहमंत्री जी ने कहा कि *इस समय पहलगांव में कोई यात्री नहीं है*। मैं दावें के साथ कहता हूं कि इस समय कम से कम बीस हजार यात्री पहलगांव में हैं। इनकी ब्यूरोक्रैसी ने यह एलान किया है कि उन्होंने तीन सौ वाहन पहलगांव से नई दिल्ली के लिए लगाए हैं मगर वहां एक भी वाहन सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं है। वहां से यात्री 800-800 रुपये किराया देकर जम्मू तक पहुंच पाएं हैं। मैंने खुद 16 सवारियों वाली 15 मैटाडोर में बैठे लोगों से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि वे नौ हजार रुपये देकर एक मेटाडोर जम्मू तक ला सके हैं।

सारा सदन इस बात का गवाह है कि रेल मंत्री जी ने यह कहा था कि *सभी सवारियां फ्री घरों तक जाएंगी*। मैं कल (29 अगस्त '96) आठ बजे जम्मू से चला हूं, पर आठ बजे तक इनकी तरफ से एक भी आदेश इस तरह का नहीं पहुंचा था। सभी यात्रियों को टिकटें लेनी पड़ रही थीं। आज तक सिर्फ तीन स्पेशल ट्रेनें ही चली हैं। जितने भी यात्री उन ट्रेनों से आए हैं सिर्फ वे दिल्ली तक ही आए हैं, उनके आगे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। रेल मंत्री जी ने हम सबसे जो वायदा किया था, उसे वे पूरा करें।

अमरनाथ त्रासदी की पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए 12 मई, 1997 को यात्रा शुरू होने से पहले सरकार को उचित प्रबंध कराने का सुझाव देते हुए प्रो० गुप्ता :

...पिछले वर्ष (1996) अगस्त महीने में अमरनाथ यात्रा की त्रासदी हुई थी जिसमें देश के विभिन्न भागों से आए हुए करीब 300 यात्री मारे गए थे। उस त्रासदी के कारणों की जांच के लिए सरकार ने जो समिति बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। मगर दुर्भाग्य से सदन में उस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने वह रिपोर्ट उस समय जारी की थी जब सदन का सत्र समाप्त होने वाला था। मेरा निवेदन है कि सदन में उस रिपोर्ट पर विधिवत रूप से चर्चा

होनी चाहिए।

आज गैलरी में जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री भी बैठे हैं इसलिए मेरी बात जम्मू-कश्मीर सरकार तक शीघ्र ही पहुंच जाएगी। सभी जानते हैं कि पिछले साल जब यह घटना घटी तो कहा गया था– *"हमें अंदाजा नहीं था कि यात्रा में इतने लोग आएंगे, इसीलिए यह त्रासदी हो गई।"*

अमरनाथ यात्रा का आकर्षण देश के सारे लोगों में है। देश का कश्मीर से आन्तरिक लगाव है। मगर हालात की वजह से देश के लोग कश्मीर पहुंच नहीं पाते। इसलिए यही एक मौका होता है जब सारे देश से लोग उमड़ पड़ते हैं। इसी कारण इस यात्रा के लिए बहुत सावधानी और लगन से प्रबंध होने चाहिए। यह यात्रा कोई ऐसी यात्रा नहीं है कि कोई दिल्ली से यात्रा को चले और हरिद्वार पहुंच जाए। यह कठिन यात्रा है। इसलिए सरकार को अभी से चेताया जाए कि इस यात्रा के लिए जिन-जिन व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर उन व्यवस्थाओं का तुरंत प्रबंध करें।

पिछली बार जब ऐसी भयानक स्थिति हुई थी तो वहां किसी तरह का वायरलेस सेट भी उपलब्ध नहीं था। इसलिए इस यात्रा में सेना और नागरिक प्रशासन का तालमेल जरूरी है। अगर हम अभी से प्रबंध करना शुरू नहीं करेंगे तो यह यात्रा सफल नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि यह यात्रा सफल हो और इससे कश्मीर का नाम ऊंचा हो। परन्तु यह तभी सम्भव होगा जब इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों चिन्ता करेंगी। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको भी बीच में बैठाकर एक ऐसी उत्तम व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे कि अमरनाथ यात्रा निर्विघ्न सम्पन्न हो सके।

✦

8 केंद्रीय बजट (1997-98) पर बहस

8.5.97 को केंद्रीय बजट (1997-98) पर बहस के दौरान 'बजट प्रस्ताव' के विरोध में दिया गया भाषण:

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : सभापति जी, मैं बजट प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से यह सवाल है कि एक तरफ तो उन्होंने सभी सीमा-शुल्कों में कमी की है और दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि सीमा-शुल्कों से राजस्व 8000 करोड़ बढ़ जाएगा। आखिर हम जानना चाहेंगे कि यह करामात वे कैसे कर लेंगे क्योंकि सीमा-शुल्कों में उन्होंने इर्रैशनली (असंगत) तरीके से कमी की है, जिससे बहुत सारे लघु उद्योग पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आने वाला समय यह दिखा रहा है कि शायद यह सबसे बड़ा इम्प्लायमेन्ट जेनरेटिंग फैक्टर हमारे पास था उसको हमने एक तरह से विफल करके दिखा दिया है। इम्प्लायमेन्ट जेनरेशन के लिए बजट में यद्यपि यह कहा गया था कि नए रोजगार पैदा किए जाएंगे लेकिन इस तरह का कोई प्रस्ताव दिखाई नहीं दिया।

दो करोड़ बेरोजगार :

इस समय देश में रोजगार की जो स्थिति है वह आप अच्छी तरह से जानते हैं। लगभग दो करोड़ से भी अधिक नौजवान इस समय बेरोजगार हैं। बेकारी शहरों में है, गांवों में है, औद्योगिक क्षेत्र में है और सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं। इस बेरोजगारी के जो कारण गिनाए गए थे उसमें से एक पर भी इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया। कारण ये बताए गए थे—"जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि, औद्योगिक विकास की धीमी रफ्तार, कृषि में पिछड़ापन और शिक्षा की वर्तमान प्रणाली।" अब

ये जो चार बातें हैं इनमें से किसी एक पर भी इनकी तरफ से बजट में ध्यान दिया गया हो; ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। बेरोजगारी की समस्या अपने देश की सबसे बड़ी समस्या है।

वाह-वाही तो बहुत हो रही है कि यह बजट बहुत अच्छा है, ड्रीम-बजट है लेकिन आज भी देश में 36 करोड़ लोग एक समय का खाना खाकर शाम को सोते हैं, उस देश में उनको रोजगार देने का इन्होंने बजट में कोई प्रबन्ध नहीं किया है। ....मैं विशेषकर जम्मू-कश्मीर के बारे में यह बताना चाहता हूं कि वहां 1988 के बाद आज नौ वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल या प्रोफेशनल कॉलेज से पास हुए हैं, उनमें से एक बच्चे को भी कहीं पर रोजगार नहीं मिला, सब के सब बेरोजगार हैं। हालांकि, वहां जो नई सरकार बनी है, उसने अपने मैनीफैस्टो में सबसे पहली बात यही कही थी कि हम सब बच्चों को तुरन्त नौकरियां दे देंगे लेकिन एक भी इंजीनियर को नौकरी नहीं दी गई। जिन्होंने इंजीनियर बनने में चार या पांच वर्ष लगाए, वे नौ वर्ष से बिल्कुल सड़कों पर घूम रहे हैं। किसी तरह की कोई नौकरी हम उनको नहीं दे पा रहे हैं और उसके नतीजा हमारे सामने हैं।

बचत के ऊपर कोई प्रोत्साहन नहीं :

इसलिए मैं आपके सामने बजट की वे बातें रख रहा हूं जिसमें सेविंग्स के ऊपर कोई इंसेंटिव (बचत के ऊपर कोई प्रोत्साहन) नहीं दिया गया है। *Voluntary disclosure of income scheme (VDIS) is nothing but legitimising tax evasion.* [१] वास्तव में पहले भी बहुत सारी ऐसी वालेंट्री स्कीम आई थीं, उनमें से किसी एक को भी सफलता नहीं मिली है। आज भी यह जो स्कीम है, इसका भी वही हश्र होने वाला है, क्योंकि एक तरह से जिन्होंने टैक्स इवेजन (कर-चोरी) किया

---

१. स्वैच्छिक आय घोषणा योजना कर-चोरी को कानूनी वैधता प्रदान करने के सिवाय कुछ भी नहीं है।

है, उनको ही लेजिटिमेसी (कानूनी मान्यता) दी जा रही है।

कृषकों की अनदेखी :

मैं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ बात आपके सामने रखना चाहूंगा। सारे बजट में एक ही बात पर जोर है कि कैसे विदेशी कम्पनियां यहां पर आएं और ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकें। हमारे देश में जहां 85 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और काफी लोग कृषि पर निर्भर हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। कृषि को किसी तरह का इंसेटिव देने की कोशिश नहीं की है।

धन का सदुपयोग हो :

जम्मू-कश्मीर का बजट 1951-52 में, पांच करोड़ रुपये का था और 1997-98 में जो बजट पेश हुआ है उसमें वहां के लिए 5400 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस बीच यह जो आतंकवाद का सारा काल बीता है उसमें वहां पर जितना भी पैसा गया है, वह सारा का सारा आतंकवादियों के हाथ में जाता रहा है। हम किसी तरह ऐसा प्रावधान पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि हम जो पैसा वहां दे रहे हैं, उसका सदुपयोग किया जा सके। जम्मू-कश्मीर की निजी आमदनी 600 करोड़ रुपये है। सरकारी कर्मचारियों की आय पर 1000 करोड़ रुपये खर्च होगा। यह सारा प्रबंध हमें यहां से 5400 करोड़ रुपये में से ही करना है। परंतु जो पैसा वहां जाए, वह ठीक से खर्च हो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत सा धन आतंकवादियों के हाथ में जाता है और वे डिक्टेट करते हैं कि कौन-सा पैसा कहां खर्च हो।

पिछले दिनों जब संयुक्त मोर्चे का क्राइसेज (संकट) चल रहा था तो हमारे मुख्यमंत्री यहां आए थे। वे एयर फोर्स के विमान से आए थे और वापस भी उसी से जम्मू चले गए। जबकि वे यहां पार्टी कार्यक्रम के लिए आए थे। इस तरह से बहुत सा पैसा यूं ही ज़ाया हो जाता है। इसलिए जो हम पैसा वहां के लिए दे रहे हैं, वह ठीक से खर्च हो; इसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए।

बिजली सेक्टर की अवहेलना :

पावर सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। मेरे क्षेत्र के अंदर चिनाब ऐसा दरिया है जहां से आप 15,000 मेगावाट बिजली आसानी से पैदा कर सकते हैं। पिछले दिनों सावलाकोट की चर्चा मैंने की थी। वहां सर्वे भी हो चुका है। सलाल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां है। वहां सलाल की दूसरी स्टेज बननी थी, अगर उस पर दो-तीन सौ करोड़ रुपये खर्च कर दिए होते, तो आसानी से वह प्रोजेक्ट बनाया जा सकता था। परन्तु दुलहस्ती को बनाना शुरू किया गया। यह परियोजना 1980 में शुरू की गई थी, आज 1997 चल रहा है, यानी कि 17 साल हो चुके हैं। हम जबकि बिजली के महत्व की बात कर रहे हैं, तो मेरे क्षेत्र में 15,000 मेगावाट बिजली आसानी से उचित दर पर पैदा की जा सकती थी। मगर उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। .....जो थीन डैम (रंजीत सागर डैम) बन रहा है, उसकी वजह से लगभग 30,000 लोग पूरी तरह से डिसलोकेट हो जाएंगे। उन्हें जो रास्ता 28 किलोमीटर में तय करना पड़ता था, अब 150 किलोमीटर में तय करना पड़ेगा। इसलिए रावी पर जो पुल बनना चाहिए, वह तुरंत बनाया जाए ताकि उन लोगों को तकलीफ न हो।

कश्मीर पूरा जम्मू-कश्मीर नहीं :

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गरीबी वहां पर आज भी है। जम्मू कश्मीर में तीन क्षेत्र हैं—लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। आम तौर पर यह दर्शाया जाता है कि कश्मीर ही सारा जम्मू-कश्मीर है, जबकि लद्दाख का क्षेत्रफल 97 हजार वर्ग किलोमीटर है, कश्मीर का क्षेत्रफल कुल मिलाकर 15 हजार वर्ग किलोमीटर है और जम्मू का क्षेत्रफल 28 हजार वर्ग किलोमीटर है। आप अंदाजा करें कि जो कश्मीर का क्षेत्रफल है वह पूरे जम्मू-कश्मीर राज्य का 1/8वां हिस्सा मात्र है और हमारा सारा का सारा पैसा कश्मीर पर खर्च होता है।

यहां पर मेरे लद्दाख के साथी बैठे हुए हैं। उनको यदि मौका मिले तो वह जरूर बताएंगे कि आज 50 साल आजादी के बीतने के बाद

भी लद्दाख में सप्ताह में सिर्फ दो बार ही बिजली देखने को मिलती है और वह भी सिर्फ चार घंटे के लिए है। पिछले साल पूरा जोर लगाने के बाद हम लोग वहां एक कॉलेज खोलने में कामयाब हुए हैं।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन तीनों क्षेत्रों की कौंसिल बने और ये जो सारा फंड हैं वे क्षेत्रीय आधार पर यहीं से वितरित हों क्योंकि आज तक वहां पर यही सिलसिला चलता आ रहा है कि हुकूमत जम्मू पर होती है, लद्दाख पर होती है और कश्मीर पर पैसा खर्च होता है। हम चाहते हैं कि तीनों रीजंस (क्षेत्र) बने रहें।

सरकार जिस तरह से चल रही है उसने बहुत ही गलत तरीके अपनाएं हैं। उसने वहां पर ऑटोनामी की चर्चा शुरू कर दी है। जम्मू रीजनल सब-ऑटोनामी की चर्चा शुरू हुई है यानी कि जम्मू को भी सब-डिवाइड कर दिया जाए, इसकी व्यवस्था वहां पर हो रही है !

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कि कश्मीर भारत का मुकुट है यह बना रहे; इसके लिए जरूरी है कि तीनों रीजंस इकट्ठे रहें। लेकिन जिस तरह का काम वहां पर हो रहा है उससे तीनों रीजंस इकट्ठे नहीं रह सकेंगे। इसलिए यहीं से सारे फंड रीजनवाइज डिस्ट्रीब्यूट हों ताकि तीनों रीजंस एक साथ प्रगति कर सकें। कश्मीर, जम्मू और लद्दाख प्रगति करे और भारत का सही मायनों में कश्मीर मुकुट बना रहे, इतना ही मुझे कहना है।

✦

९ कश्मीर पर श्वेत पत्र की मांग

कश्मीर पर अभी तक एक लाख करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई है। यह धन कश्मीर के विकास पर खर्च हुआ है या सत्ताधारी लोगों के पास जाता रहा है या फिर आतंकवादियों के हाथों में पहुंचता रहा है, इस बारे में प्रो० चमन लाल गुप्ता ने केंद्र सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह धन आखिर गया तो कहां गया ?

दिनांक : 27.2.97

प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर के लिए 'पैकेज' की घोषणा की है। कश्मीर के लिए फंड दिया जाना अच्छी बात है, इसकी जरूरत भी है क्योंकि वहां बहुत नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करना देश की जिम्मेदारी है। केन्द्र की ओर से जो धन कश्मीर में जा रहा है वह वहां के विकास पर खर्च होना चाहिए। पर होता यह रहा है कि पहले जो धन यहां से जाता था वह सारा आतंकवादियों के हाथों में पहुंच जाता था। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज भी वहां सरकार का नहीं, आतंकवादियों का प्रभुत्व है। उदाहरणस्वरूप आतंकवादी जिस दिन चाहें वहां हड़ताल करा सकते हैं। सचिवालय तक को बन्द करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो धन वहां जा रहा है; उसका कहां तक सही इस्तेमाल हो पाता है इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है।

देश में 32 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको शायद एक समय अपने पेट पर पत्थर बांधकर सोना पड़ता है। ऐसे में इन लोगों का धन जो कश्मीर के विकास के लिए जाता है, वह विकास पर ही खर्च हो, इसके लिए मानेटरिंग कमेटी बननी चाहिए।

दिनांक : 8.5.97

यह पैकेज कोई पहली बार नहीं दिया गया है, बहुत बार दिया जा चुका है। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के. वी. कृष्णाराव के अनुसार अभी तक कश्मीर को एक लाख करोड़ रुपये दिया जा चुका है, जो वहां पर खर्च हुआ है। एक लाख करोड़ रुपया, जो उन्होंने वहां पर खर्च किया हुआ दिखाया है, मेरा सदन से यह निवेदन है कि इस बारे में हम कम से कम व्हाइट पेपर (श्वेत पत्र) तो लाएं। मुझे आज भी यह शक है कि यह धन या तो सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोगों या इनके परिवारों के पास जाता रहा है या फिर आतंकवाद को जो डिक्टेट करते हैं, उनके पास जाता रहा है। यानी कि आम आदमी तक वह पैसा नहीं पहुंच रहा है। आज वहां पर जो परिस्थिति है, उस पर व्हाइट पेपर लाना बहुत जरूरी है।

✦

10 आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है विदेशी धन

कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो धन विदेशी स्रोतों से आतंकवादियों के पास पहुंचता रहा है, उन स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई ठोस नीति नहीं अपनाई। विदेशी धन पर रोक लगे, इस ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए प्रो० चमन लाल गुप्ता :

दिनांक : **8.5.97**

......कश्मीर में विदेशी धन इतना ज्यादा आ गया है कि उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। आखिर वहां सरकार का कोई वर्चस्व भी है या नहीं ?

कश्मीर में हुर्रियत कांफ्रेंस के कई नेताओं पर यह आरोप है कि उन्होंने विदेशी स्रोतों से धन लिया है।[१] ऐसे अनेक प्रमाण मिल सकते हैं जो यह साबित कर सकते हैं कि कश्मीर में आतंकवादी गति-विधियों को जीवित रखने के लिए कितना पैसा विदेशों से भेजा गया है। यह धन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई. एस. आई के माध्यम से भी आता रहा है।

---

१. पाकिस्तान समर्थित गुट हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं पर विदेशी स्रोतों से, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई. एस. आई. भी शामिल है गैर कानूनी तरीके से 'हवाला' के माध्यम से रुपए ऐंठने का मामला प्रकाश में आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरों ने 13 मार्च, '97 को इस मामले में विदेशी दान-कानून—1976 के तहत कुछ हुर्रियत नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की हैं। इन नेताओं पर यह आरोप है कि यह धन उन्होंने कश्मीर के नाम पर सऊदी अरब, पाकिस्तान, अमरीका,ब्रिटेन एवं ईरान से इकट्ठा किया है।

मेरा निवेदन है कि इस बारे में जांच हो कि किन-किन स्रोतों से यह धन आ रहा है, और इसमें कौन लोग दोषी हैं ? विदेशी धन पर कोई न कोई रोक लगनी ही चाहिए। जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी, तब तक वहां आतंकवाद नहीं थम सकेगा।

✦

कर्जा माफी में जम्मू और लद्दाख से भेदभाव क्यों !

12.8.97 को लोकसभा में 1997-98 के लिए अनुदान (सामान्य) की अनुपूरक मांगों में विनियोजन हेतु रखे गए विधेयक पर भाषण देते हुए :

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : सभापति जी, हमारे सामने 3 हजार 936.55 करोड़ रुपये की 47 मांगें रखी गई हैं। ये रिएप्रोप्रिएशन (विनियोजन) के लिए लाई गई हैं। मैं समझ नहीं पाया, यह इन सब–ग्रांट्स में कैसे रिएप्रोप्रिएशन कर रहे हैं; इसको कहीं भी स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की गई है।

सबसे पहले मैं पृष्ठ नं०19 में मांग नं० 46 का उदाहरण देना चाहता हूं, जिसमें 108 करोड़ रुपये इसलिए रखे गए हैं कि कश्मीर में जो कर्जे दिए गए हैं, उनको माफ किया जाए।

सभापति जी, सारा देश जानता है कि इस संसद में देवगौड़ा जी ने; जब वे प्रधानमंत्री थे, आठ महीने पहले एक पैकेज की घोषणा की थी और कहा था कि—*50 हजार तक के जितने भी कर्जे हैं, उनको हम माफ करेंगे।* मैं नहीं समझ पाया कि जो पैकेज था, उसके द्वारा जो कर्जे माफ करने थे, वह बजट में क्यों नहीं आए और आज सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के अन्दर क्यों आ रहे हैं ? मैं खासकर वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उस समय उन्होंने यह घोषणा की थी कि *हम पूरे कश्मीर के कर्जे माफ कर देंगे।* कश्मीर का मतलब है उसमें लद्दाख, जम्मू और कश्मीर घाटी भी आती है। लेकिन आज आभास यह दिया जा रहा है कि कर्जे केवल कश्मीर घाटी के ही माफ होंगे, न जम्मू के माफ होंगे और न लद्दाख के ही माफ होंगे।

आठ वर्षों से इन्सरजेंसी (विद्रोह) का जो दौर रहा है, उसने सारे राज्य के अंदर तबाही मचाई है। सारे राज्य के भीतर नुकसान हुआ

है। राज्य में जितने उद्योग थे सब ठप हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कर्जे माफ करने की घोषणा की थी तो हमें खुशी हुई, लेकिन आज भेदभाव करने की बातें सोची जा रही हैं। मैं वित्त मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि वे घोषणा करें कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

कश्मीर पैकेज में पांच बातें कही गई थीं। उसमें यह कहा गया था कि कश्मीर में रेल चलाई जाएगी। 2500 करोड़ रुपये उसके लिए रखे गए थे। यह बात उसमें शामिल थी कि जम्मू में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (कृषि विश्वविद्यालय) और दुलहस्ती प्रोजेक्ट बनेगा। ...अब आप विचार कीजिए कि उस पैकेज में से ही यह पहली चीज कर्जे की माफी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्जे माफ किए जाने के समय जम्मू-कश्मीर के तीनों क्षेत्रों का ख्याल रखा जाना चाहिए। खासकर इनकी नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जब 10,000 रुपये के कर्जे माफ करने की बात कही थी तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके 10,000 रुपये के कर्जे आज तक माफ नहीं किए गए। इसी माफी के अंदर विशेषकर एग्रीकल्चर लोन (कृषि ऋण) को भी रखा जाए; जिन लोगों का कृषि की वजह से नुकसान हुआ है उन्हें भी इस में शामिल कर लें, यह भी मेरा निवेदन है।

दुलहस्ती प्रोजेक्ट स्वदेशी फर्म बनाएं :

मांग संख्या 70, पृष्ठ : 32 पर है, जिसमें दुलहस्ती, रंजीत सागर बांध और उड़ी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 897.50 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही दोहराना चाहूंगा कि यह जो दुलहस्ती या उड़ी की चर्चा इसमें आई है, यह भी बजट से पूर्व का खर्च था। प्रधानमंत्री जी ने अपने पैकेज में घोषणा की थी। पर आज 897.50 करोड़ रुपये एकदम मांगें जा रहे हैं और इन्हें सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के अन्तर्गत रखा गया है।

हमें खुशी है कि दुलहस्ती प्रोजेक्ट बनेगा, उड़ी परियोजना पूरी होगी, लेकिन उसी के साथ-साथ मैं यह बात भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि खासकर दुलहस्ती की जो परियोजना थी, वह कुल मिलाकर

उस समय 2400 करोड़ रुपये की थी, आज तक इसके ऊपर 1450 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं पर आज इसकी लागत 3500 करोड़ रुपये बताई जा रही है। आज उस इलाके में आतंकवाद है। पिछली बार भी जब यह प्रोजेक्ट बंद हुआ था तो इसी वजह से बंद हो गया था। आतंकवाद के दौरान एक फ्रेन्च फर्म ने दुलहस्ती प्रोजेक्ट का ठेका लिया था और उसका निर्माण कार्य चला रहा था। पर इस बीच उस कंपनी के एक इंजीनियर का अपहरण हो गया। इस घटना के बाद वे सारे के सारे अपना बोरिया-बिस्तर लेकर चले गए। यह अजीब ढंग है कि बहुत अधिक पैसा हम पहले ही दे देते हैं। वे लोग पैसा लेकर चले गए, काम बंद हो गया।

मैं चाहूंगा कि दुलहस्ती प्रोजेक्ट स्वदेशी फर्म को दिया जाए और उसी के साथ-साथ हमारी कोशिश हो कि हम काम को पूरा करा सकें। जैसा मैंने कहा था कि यह 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो अब 3500 करोड़ रुपये का हो गया है और मुझे नहीं लगता है कि यह 5000 करोड़ रुपये में भी पूरा हो सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां इस परियोजना के लिए पैसा दिया जाए, वहां पर इसकी मोनिटरिंग की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यह पैसा उग्रवादियों के पास न जाए। यह पैसा इस प्रोजेक्ट पर ठीक से खर्च हो, इसकी व्यवस्था केन्द्र को यहां से करनी होगी। अगर केन्द्र यहां से व्यवस्था नहीं करेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह पिछले छह-सात वर्षों में करोड़ों-अरबों रुपये उग्रवादियों के हाथों में चले गए हैं और उन्होंने उसी पैसे से हथियार खरीदे हैं और विद्रोहात्मक गतिविधियों को चलाया है, आज फिर पैसे का वही दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए आज मोनिटरिंग की व्यवस्था अत्यंत जरूरी है। मैं वित्तमंत्री जी से इस कार्य के लिए आश्वासन चाहूंगा।

कठुआ और बसौली के बीच पुल बने :

इसी प्रकार रंजीत सागर डैम को पूरा करने की बात है। इससे, विशेषकर बसौली और बिलावार के इलाके पूरी तरह से पानी के भीतर

आ रहे हैं। इस डैम के बन जाने से बिजली पंजाब को मिलेगी, राजस्थान को मिलेगी और हरियाणा को भी मिलेगी लेकिन जम्मू-कश्मीर में जो गांव डूब रहे हैं, उन को सैटल करना भी बहुत जरूरी है। [१]

कौन-सी सिक्रेट सर्विसें ?

पृष्ठ : 18 पर मांग संख्या : 43 में गुप्तचर विभाग के खुफिया कार्यों पर खर्चे के लिए आप 15 करोड़ रुपये की मंजूरी मांग रहे हैं, पर मैं यह समझ नहीं पाया कि कार्य कौन से हैं और कैसी सिक्रेट सर्विसें हैं जिनको आप यहां स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सिक्रेट सर्विसें हमारे देश में क्या गुल खिला रही हैं, यदि मैं इसकी चर्चा करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक ओर आपने सिक्रेट सर्विसों के लिए यह फंड रखा है और गुजराल साहब कहते हैं कि सारे देश के अन्दर ट्रान्सपैरेन्सी देंगे तथा दूसरी तरफ आप 15 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं; खाली सिक्रेट सर्विसों के लिए।

मेरा इतना ही निवेदन है कि आपने दो-तीन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस बात को आप जानते हैं कि 108 करोड़ रुपये आपने कर्जे माफ करने के लिए रखे हैं। जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनका बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि उनका कामकाज नहीं चल सका है।

विस्थापितों के लिए पैकेज की घोषणा हो :

आप अच्छी तरह जानते हैं कि चार लाख लोग कश्मीर से भगाए गए हैं जो अब जम्मू, दिल्ली तथा देश के अन्य राज्यों में शरण लिए हुए हैं, लेकिन इन विस्थापितों के लिए यहां एक पैसा भी नहीं रखा गया। आपने उनकी चर्चा ही नहीं की कि उनको भी किसी चीज की जरूरत होगी। ......सरकार इन विस्थापितों को कश्मीर में बसाना चाहती है, रिलीफ देना चाहती है, यह अच्छी बात है लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह किस तरह की सोच है ?

---

१. 'रावी पुल का निर्माण आवश्यक' अध्याय भी देखें।

दूरदर्शन दूर दराज तक पहुंचे :

यहां पर नरसिंह राव जी बैठे हैं। हमने इनकी नोटिस में बहुत बार यह बात लाई थी कि जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर शहर और जम्मू शहर को छोड़कर कहीं भी भारत के दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाई नहीं देते। जम्मू संभाग के कठुआ क्षेत्र में भी अगर आप पाकिस्तान का टेलीविजन देखना चाहते हैं तो आपको अच्छा दिखाई देगा। पूरी कश्मीर घाटी में तथा पूरे राजौरी, पुंछ, डोडा में पाकिस्तान का टेलीविजन देखा जाता है, मगर वहां भारत का टेलीविजन दिखाई नहीं देता।

हमने बीसों बार आपके सामने यह बात रखी है। हम चाहते हैं कि आप वहां की ज्वलंत समस्याओं की तरफ ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं कि वहां के लोग भारत के साथ जुड़े रहें तो आप इस पर ध्यान दीजिए।

आज प्रोपेगैन्डा की बहुत बड़ी अहमियत है। आज वहां क्या हालात हैं यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वहां एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जिसमें भारत का दूरदर्शन दिखाई दे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप इसके लिए भी कुछ फंड रखते, तो अच्छा होता। खासतौर से राजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ और घाटी के जो जिले हैं वहां भारतीय दूरदर्शन के कार्यक्रम अच्छी तरह दिखाई दें, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

महोदय, अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा है पिछले आठ वर्षों में आतंकवाद ने काफी गुल खिलाए हैं। आप वहां के लिए फंड दे रहे हैं, कर्जे माफ कर रहे हैं पर ये कर्जे सारे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में माफ हों, इसकी आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। और, ये जो पैसा वहां जा रहा है इसे जिन कार्यों के लिए आपने निर्धारित किया है, यह उसी पर खर्च हो, आतंकवादियों के हाथ में नहीं जाए, इसके लिए भी आपको पूरा प्रबंध करना पड़ेगा। कोई मोनिटरिंग एजेन्सी बनानी पड़ेगी।

◆

12 जम्मू में तीन तरह के शरणार्थी

8.5.97 को केंद्रीय बजट (1997-98) पर बहस के दौरान विस्थापित कश्मीरी पंडितों के बारे में तथा 21.2.97 को मुस्लिम विस्थापितों और 2.5.97 को 1947 के शरणार्थियों की समस्याओं की ओर केंद्र सरकार का ध्यान खींचते हुए प्रो० चमन लाल गुप्ता :

विस्थापित कश्मीरी पंडितों की समस्याएं :

(दिनांक : 8.5.97)

...जम्मू-कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या विस्थापितों की है। तीन लाख के करीब लोग अपना घरबार छोड़कर दूर बैठे हैं, कुछ दिल्ली में और कुछ जम्मू में। मैं उस सारी परिस्थिति का वर्णन करना नहीं चाहता। पिछले आठ वर्षों से एक ही टेंट के अंदर मां, बाप, भाई, बहन और उनके बच्चे बैठे हैं, लेकिन उनकी तरफ न तो कोई ध्यान दिया गया है और न ही कोई उचित व्यवस्था की गई है, न कोई चिंता ही की जा रही है। मेरा निवेदन है कि कम से कम हमारे वित्त मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें क्योंकि यह मानवीय समस्या है। वे लोग खुद चलकर यहां नहीं आए हैं। सरकार वहां की परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाई जिसके परिणामस्वरूप उनको घरबार छोड़ना पड़ा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार ने अजीब काम किया है। जो तेरह हजार विस्थापित कर्मचारी कश्मीर के हैं, उन तेरह हजार कर्मचारियों के वहां से निकल आने के बाद उनकी जगह पर वहां एडहॉक नियुक्तियां कर ली गई हैं। हम कहते हैं कि उनको सम्मानपूर्वक वापस जाना चाहिए और मैं सदन में भी यह कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दू विस्थापित कश्मीर वापस नहीं जाएंगे तो उनके बिना कश्मीर

अधूरा रहेगा। लेकिन वापस जाने के बाद ये लोग कश्मीर में कहां जाकर टिकेंगे क्योंकि वहां पर उनके सामान, मकान सब नष्ट कर दिए जा रहे हैं। वहां पर उनके सामान की रक्षा करने वाली कोई सरकार नहीं है। वह सरकार उनके सामान की रक्षा की गारंटी नहीं देती। उनकी प्रोपर्टी को रजिस्टर्ड किया जाए; इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मानवीय समस्या पर पूरा ध्यान दिया जाए और पूरी तरह से सम्मानपूर्वक उनको अपने घरों में वापस लाया जाए, इस बारे में हमें व्यवस्था और चिंता करनी होगी।

राहत राशि तीन हजार प्रति माह हो :
(दिनांक : 21.3.97)

......कश्मीर से विस्थापित होकर करीब चार लाख लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद उनको वापस ले जाया जाएगा, परन्तु आज तक उनकी ऐसी कोई योजना सामने नहीं आई। मैं चाहूंगा कि जब तक वे घरों को वापस नहीं जाते हैं तब तक उनको तीन हजार रुपये प्रति परिवार अनुदान राशि दी जाए और राशन भी निःशुल्क दिया जाए।

कश्मीर से विस्थापन मुसलमानों का भी :
(दिनांक : 21.2.97)

.....**उपाध्यक्ष जी,** मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं। आठ वर्ष पहले कश्मीर घाटी से माइग्रेशन शुरू हुई थी। पहले हिन्दुओं को वहां से निकलना पड़ा। आज तक सरकार किसी भी तरह से उनको सैटल (बसाना) नहीं कर पाई है। .....जम्मू-कश्मीर में चुनाव हो गए हैं। चुनाव में जिन लोगों ने कश्मीर घाटी में वोट डाले खासकर मुस्लिमों ने, उन्हें भी वहां से निकलना पड़ा। इस संदर्भ में मैं दिनांक 21 फरवरी '97 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की एक रिपोर्ट आपके सामने पढ़ता हूं–

'Intimidated and tortured by militants, Muslims are fleeing Kashmir in hordes and many of them are looking for the migrant status to survive in Jammu which they cousider offers them safety from fears that have gripped the valley.' [१.]

अब कश्मीर घाटी से काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट में बताया गया है कि 600 परिवार माइग्रेंट स्टेट्स पाने के लिए जम्मू में दरख्वास्तें दे रहे हैं। सरकार किसी तरह का इन्तजाम नहीं कर रही है। आमतौर पर यह कहा जा रहा था कि चुनाव होने के बाद वहां की स्थिति ठीक हो गई है लेकिन हिन्दुओं के अलावा मुसलमानों को भी वहां से मजबूर होकर माइग्रेट करना पड़ रहा है। सरकार किसी तरह से उनकी सुरक्षा की व्यवस्था न कर सकी, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि सरकार तुरंत इस ओर ध्यान दे। हिन्दुओं को घाटी वापस ले जाने की जो बातें कही जा रही थीं, वह तो बहुत दूर की बात है लेकिन एक नई बात जो सामने आ गई है, नए लोगों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया है, सरकार तुरंत इसे रोके। जो लोग मजबूरन अपना घरबार छोड़ रहे हैं सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने कश्मीर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उनके घरों पर बमों से हमले हो रहे हैं और सरकार किसी तरह से उनको बचा नहीं पा रही है। नतीजा क्या हुआ, काफी तादाद में लोग वहां से निकल रहे हैं।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वइ इस ओर तुरंत ध्यान दे, लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान करे ताकि वे वहां पर टिक सकें। सरकार

---

१. 'आतंकवादियों से उत्पीड़ित और प्रताड़ित होकर मुस्लिम परिवार कश्मीर घाटी से झुंडों के रूप में भाग रहे हैं और उनमें से अधिकांश जम्मू में जीवनयापन करने के लिए माइग्रेंट स्टेट्स (विस्थापित का दर्जा) पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जम्मू में उन्हें उस भय से मुक्ति मिलेगी जिसकी गिरफ्त में इस समय घाटी है।

जिन्हें वापस घाटी ले जाने की बातें कर रही है, इस बारे में भी अपना व्यूप्वाइंट (दृष्टिकोण) सामने रखे कि वह किस तरह से इन विस्थापितों को वापस ले जाएगी।

अनुसूचित जाति के लोगों से ज़मीन न छीनी जाए :
(दिनांक : 2.5.97)

.......जम्मू-कश्मीर में इस समय करीब एक लाख ऐसे अनुसूचित जाति के बंधु हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। ......वे अनुसूचित जाति के परिवार 1947 में पाकिस्तान से आए थे, लेकिन उन परिवारों को आज तक भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। वे मात्र संसदीय चुनावों के लिए वोट डालते हैं लेकिन राज्य विधानसभा में वे अपना वोट नहीं डाल सकते। आज इन परिवारों पर एक और आफत आ पड़ी है।

जम्मू से करीब 25 कि.मी. की दूरी पर रणबीरसिंह पुरा गांव स्थित है। उस गांव में 21 परिवार ऐसे हैं जो 1947 से वहां की ज़मीन पर अपना गुजारा चला रहे थे। वे सभी अनुसूचित जाति के परिवार हैं, जिन्हें ज़मीन आवंटित की गई थी। पर आज उनके लिए एक नई समस्या पैदा हो गई है। ......कुछ लोग जो 50 वर्ष पहले पाकिस्तान चले गए थे उनमें से कुछ वापस आ गए हैं और आने के बाद उन्होंने दावा किया कि वह ज़मीन उनकी है। आज सरकार उन अनुसूचित जाति के परिवारों को ऐविक्ट (निकालना) करवा रही है, जिन्होंने पिछले 50 वर्षों से उस ज़मीन को ख़ून पसीने से सींचा है जिस पर उनका सारा दारोमदार है। आज स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि उनसे वह ज़मीन खाली करवाकर, बिना किसी तरह का मुआवजा दिए, बिना किसी तरह की कोई आलटरनेटिव लैंड (वैकल्पिक ज़मीन) दिए हुए उनको वहां से निकाला जा रहा है यानी कि उस ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है जिस पर उनकी पूरी रोजी चल रही है।

......पासवान जी बैठे हुए हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।......बड़ी अजीब स्थिति है कि पचास वर्ष पहले जो पाकिस्तान

चला गया था और वहां का नागरिक बना हुआ है, वह आज वापस आता है तो उसे यहां की ज़मीन दी जा रही है, यहां उसकी प्रापर्टी स्टोर (सम्पत्ति सुरक्षित) की जा रही है, लेकिन जो पचास वर्ष पहले विभाजन की वजह से मजबूर होकर अपना सब कुछ वहां लुटाकर भारत में आकर बसा है, उसे यहां से ऐविक्ट किया जा रहा है।

मेरा अनुरोध है, मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि किसी परिवार को वहां से ऐविक्ट न करवाया जाए और अगर सरकार किसी को ज़मीन देना ही चाहती है तो जो सरकार की वैकल्पिक ज़मीन है उसमें से दे दी जाए, लेकिन ऐसे परिवारों को उस ज़मीन से बेदखल न करें।

✦

13 विलेज डिफेंस कमेटियां और डोडा

21.3.97, 7.5.97 और 14.8.97 को लोकसभा में जम्मू संभाग के डोडा जिले में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ मोर्चा संभाले 'विलेज डिफेंस कमेटियों' (ग्रामीण सुरक्षा समितियों) की समस्याओं की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए :

दिनांक : 21.3.97

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, हमारे डोडा जिले में लगभग दो सौ परिवार ऐसे हैं, जिन परिवारों के सदस्य उग्रवादियों की गोलियों से मारे गए हैं। सरकार ने यह घोषणा की थी कि जिन परिवार के सदस्यों को उग्रवादी मारते हैं उनके परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और एक लाख रुपये एक्सग्रेशिया ग्रांट (अनुग्रह राशि) दिया जाएगा। ऐसे लगभग दो सौ परिवार हैं जिन्हें आज तक न तो एक्सग्रेशिया ग्रांट ही मिला है और न ही उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दी गई है।

दूसरा, डोडा जिले में ही सरकार ने विलेज डिफेंस कमेटियां (ग्रामीण सुरक्षा समितियां) बनाई थीं। उन ग्रामीण सुरक्षा समितियों को 1500 रुपये प्रति समिति देने का वायदा किया गया था। पिछले तीन वर्षों से वे कमेटियां वहां इतना काम कर रही हैं, जितना वहां आर्मी और सी. आर. पी. के जवान भी नहीं कर पा रहे थे। परन्तु सरकार की तरफ से उनको किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही है। मैं चाहूंगा कि उनको 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाए।

अत्याधुनिक हथियार दिए जाएं :

(दिनांक : 14.8.97)

....उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विशेषकर गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डोडा जिला में विलेज डिफेंस कमेटियां

बनी हुई हैं। ये विलेज डिफेंस कमेटियां उस वक्त बनायी गई थीं जब दूर-दूर तक गांवों में आतंकवादी पहुंच गये थे और हमारी सेना, बी. एस. एफ वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। आज भी स्थिति वैसी ही है। आज भी कुछ सूडानी, अफगानी और पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर डोडा के पहाड़ों पर बैठे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन डिफेंस कमेटियों के बारे में यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कुल मिलाकर आज जब भी कोई व्यक्ति इन डिफेंस कमेटियों में आ जाता है तो उसको 303-रायफल दी जाती है। यह बिल्कुल पुराने किस्म की रायफल है। लेकिन एक बार जब वह व्यक्ति डिफेंस कमेटियों में शामिल होकर अपने आपको एक्सपोज कर देता है तो फिर वह किसी दूसरे काम का भी नहीं रहता, वह अपना कोई दूसरा निजी काम भी नहीं कर सकता है, यहां तक कि वह खेती-बाड़ी भी नहीं कर सकता।......(व्यवधान)

मानदेय बढ़ाया जाए :

आठ मैम्बरों की कमेटी को कुल मिलाकर सरकार 1500 रुपये देती है। आप अंदाजा करें कि इन कमेटियों में जो लोग पूरा वक्त दे रहे हैं आज उन्हीं की वजह से डोडा जिला एक तरह से बचा हुआ है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1500 रुपये में आठ लोग क्या करेंगे। गृह मंत्री जी ने कई बार यह वायदा किया है कि ऑनरेरियम एनहान्स (मानदेय बढ़ाना) किया जाएगा लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि अगर चार सिपाही भी हमें वहां पर भेजने पड़ते तो उन पर कितना खर्चा हो जाता है। मेरा निवेदन है कि जो खुद अपने आपको मौत के मुंह में डालने वाले लोग हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान दे।

...और कमेटियां बनें

मैं इस बारे में तीन बातों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। एक तो यह है कि सरकार ने डिफेंस कमेटियां बनाने पर रोक लगाई है, ये कमेटियां नहीं बन रही हैं, जबकि डिफेंस कमेटियां और बननी चाहिए।

सरकार को इसकी इजाजत देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन डिफेंस कमेटियों के प्रत्येक सदस्य को कम से कम दो हजार रुपये महीना मानदेय मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इनको अत्याधुनिक हथियार देने चाहिए। पुरानी 303-रायफल से वे आज के उग्रवादियों का मुकाबला किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। यही तीनों चीजें मैं माननीय गृहमंत्री साहब से कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

30 कंपनियां डोडा वापस बुलाएं

(दिनांक : 7.5.97)

.....माननीय सभापति महोदय मैं सदन का ध्यान बहुत ही गंभीर मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं। पंजाब में चुनाव होने के दौरान डोडा जिले से सुरक्षा बलों की 30 कंपनियों को हटाया गया था और वे कम्पनियां आ़ज तक डोडा वापस नहीं भेजी गईं। उसका नतीजा यह हुआ कि आज से चार दिन पहले देसा गांव से तीन व्यक्तियों का अपहरण हुआ। कल ही वहां पर उन तीन व्यक्तियों की गोलियों से छलनी लाशें मिली हैं। ये तीनों व्यक्ति किसान थे; जो लकड़ी लेने के लिए गये थे, जब इनका अपहरण हुआ था।

.....मैं गृहमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि डोडा जिले से जो सुरक्षा बल हटाए गये हैं उन्हें तुरंत वहां भेजा जाए। डोडा जिला इस समय आतंकवादियों से घिरा हुआ है। वहां पर विदेशी भाड़े के सैनिक इतनी संख्या में आए हुए हैं कि वहां लोगों का चलना-फिरना मुश्किल हो गया है।

जब से प्रदेश में नई सरकार बनी है तब से वहां पर विलेज डिफेंस कमेटियां बनाना बंद कर दिया गया है, लोगों को हथियार देना बंद कर दिया गया है। विलेज डिफेंस कमेटियों को वहां कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। मेरा निवेदन है कि वहां पर विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई. जाएं और इन कमेटियों को वहां पर बाकायदा मानदेय दिया जाए, इन्हें हथियार मुहैया कराए जाए, ताकि वे वहां पर ठीक से अपना काम कर सकें।

✦

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग

जम्मू-कश्मीर सरकार के पर्यटन मंत्री अजात शत्रु ने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले किया जाना चाहिए और नियंत्रण रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा मान लिया जाए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए यह बात कही थी। बाद में सरकारी तौर पर इस बात का खंडन किया गया था। इधर 3.3.97 और 7.5.97 को लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए प्रो० चमन लाल गुप्ता ने इस विवादास्पद बयान के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रस्तुत है इस बहस के प्रमुख अंश :

दिनांक : 3.3.97

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मसले की ओर दिलाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर के एक कैबिनेट मंत्री ने चंडीगढ़ में ऐलान किया कि पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पाकिस्तान को सरेंडर (के हवाले कर देने) करने के लिए जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और यह क्षेत्र सरेंडर करने के बाद रिज़ोल्यूशन रिफ्रेंडम लाया जाएगा। उस कैबिनेट मंत्री ने जिस संविधान की शपथ ली है उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि जम्मू-कश्मीर की टेरेटरी (क्षेत्र) का मतलब है वह क्षेत्र जो 15 अगस्त, 1947 में राज्य की सीमा में था।[१]

भारत का संविधान भी यही कहता है कि हम टेरेटरी को किसी भी तरह से बदल नहीं सकते। फिर मंत्री जी को यह कहने का अधिकार किसने दिया—*"हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (नियंत्रण रेखा) को अंतरराष्ट्रीय सीमा मानने के लिए तैयार हैं।"*

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में अपनी स्थिति को स्पष्ट करे, क्योंकि होता यह रहा है कि जब इस तरह का वक्तव्य आता है तो उसके बाद किसी न किसी का खंडन भी आ जाता है। तीसरे आदमी के खंडन का कोई मतलब नहीं होता जब तक कि केन्द्र सरकार इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती। मैं समझता हूं कि यह देश के साथ द्रोह करने वाली बात है। इस पर सरकार को तुरंत ही ध्यान देना चाहिए।

.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बैठिए, मैं सबको बुलाऊंगा।

.....(व्यवधान)

Shri Ramesh Chennithala (Kottayam) **:** Sir, I want to raise a very important issue.

Mr. Deputy-Speaker : All issues are important. Please sit down.

Shri Ramesh Chennithala (Kottayam) **:** Please allow me. I will take only two minutes.

Mr. Deputy-Speaker : I am not denying you the opportunity. First, you listen to me.

Shri Ramesh Chennithala (Kottayam) **:** My name is there.

Mr. Deputy-Speaker : I know that. I have already ticked it. Please sit down.

... (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : जो इश्यू चमन लाल गुप्ता जी ने उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जम्मू-कश्मीर का एक मिनिस्टर चंडीगढ़ में आकर बयान देता है कि हम रिफ्रेंडम लाएंगे कि वह ज़मीन पाकिस्तान को दी जा सकती है। यह काफी गंभीर मामला है।....It is a serious thing. The Government should take notice of it.[२]

The Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Tourism (Shri Srikant Jena) : I have already taken a note of it.[३]

...(व्यवधान)

दिनांक : 7.5.97

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) **:** सभापति महोदय, हमें खुशी

है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है–*"कश्मीर इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया"*[४] लेकिन जब इन्होंने यह कहा : *"anybody's statement"*[५] Dr. Farooq Abdullah is not anybody. He is the Chief of Minister of a State.[६] और बार-बार वे इस चीज को दोहरा रहे हैं कि यह जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको मुद्दा न बनाया जाए।

Mr. Chairman : He has already replied.

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : जवाब नहीं आया है। हम यह जानना चाहते हैं कि इसमें अमरीका अपना क्या खेल, खेल रहा है ?

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना सवाल पूछिए न।

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : इस समय जो कश्मीर हमारे पास है, वह इंटेग्रल पार्ट है तो होल ऑफ कश्मीर, जो पार्लियामेंट का बाकायदा रैजोल्यूशन है, उसको हमें मानकर चलना चाहिए।

....(व्यवधान)

Mr. Chairman (Shri P.M. Sayeed) : He has already replied to this question.

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : इतना साफ सवाल है कि जब कोई जिम्मेदार आदमी, राज्य का मुख्यमंत्री बार-बार इस बात को बोलता है तो उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं होना चाहिए ?

Shri I. K. Gujral : Sir, I think, I made my statement very categorically. And whatever Resolution has been made by Parliament, we honour that Resolution.[७]

---

१. 15 अगस्त, 1947 को पाक अधिकृत कश्मीर जम्मू-कश्मीर का अभिन्न हिस्सा था। बाद में 27 अक्टूबर, 1947 को जब प्रदेश के तत्कालीन महाराज हरिसिंह ने अपने राजवाड़े का विलय भारत में किया था, तो उस विलय संधि में वह क्षेत्र भी शामिल है, जिसे पाकिस्तान ने कबाइली हमले के दौरान जबरन हथिया लिया। २. 'यह गम्भीर मामला है। सरकार इस पर ध्यान दे।' ३. 'मैंने इस बात को लिख लिया है।' ४. 'कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।' ५. 'जिस किसी का भी वक्तव्य'। ६. 'डा. फारूक अब्दुल्ला कोई ऐरे-गैरे व्यक्ति नहीं हैं, वे राज्य के मुख्यमंत्री हैं।' ७. इंद्र कुमार गुजराल (प्रधानमंत्री) : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि मैंने अपना वक्तव्य बहुत स्पष्ट दिया है। इस संबंध में संसद द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित हुआ है, हम उस प्रस्ताव का सम्मान करते हैं।

राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने पर बहस

9 अक्टूबर, 1996 को जम्मू-कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ। इससे पूर्व प्रदेश में 1990 से राष्ट्रपति शासन चल रहा था, जिसे हर छमाही में बढ़ाए जाने के लिए संसद में कानूनी प्रस्ताव पारित करना पड़ता था। 18 जुलाई, 1996 से अगले छह मास के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने पर जो प्रस्ताव उस समय लोकसभा में रखा गया था उसी के समर्थन में प्रो० चमन लाल गुप्ता ने 12.7.96 को सदन के समक्ष जो विचार रखे, उसके मुख्यांश प्रस्तुत हैं :

....**उपाध्यक्ष जी,** जम्मू-कश्मीर में और छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव सदन में आया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।....मैं समर्थन इसलिए करना चाहता हूं कि आज भी जम्मू-कश्मीर की स्थिति इस योग्य नहीं है कि वहां से राष्ट्रपति शासन को हटाया जाए। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी श्रीनगर गये थे। कहा यह गया था कि वहां बहुत बाढ़ आई है, उसको देखने के लिए गये हैं। आठ सालों के बाद कोई प्रधानमंत्री कश्मीर गया था। यह बहुत अच्छी बात है। इसके लिए वे सही मायनों में बधाई के हकदार हैं लेकिन यह भी देखिए कि वहां वे बाढ़ देखने के लिए जाते हैं और 7 करोड़ रुपये भी देकर आते हैं, पर उनके वहां जाने पर सारी की सारी घाटी में पूर्ण हड़ताल थी। सरकार ने यह जतलाने की कोशिश की है कि वहां हड़ताल इसलिए हो रही है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं लेकिन हकीकत यह थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध किया था और यह कहा था कि *प्रधामंत्री की उनको जरूरत नहीं है।*

कलमाड़ी गांव की त्रासदी :

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कश्मीर के भीतर आज भी मिलीटेन्सी की रिट चल रही है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वहां पर इस समय राष्ट्रपति शासन है। आज भी वहां पर कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर वहां पर सरकार होती तो जिस तरह से डोडा जिले में आज हत्याएं हो रही हैं तो क्या वे होतीं ? मैं स्वयं कलमाड़ी गांव गया था। वहां मैंने देखा कि एक ही परिवार के सात लोगों को एक ही कमरे में बंद कर चाकू से हलाल कर दिया गया था। एक बूढ़ा दादा और दादी, उनका लड़का और लड़की और उनका भी एक लड़का और एक बड़ी बच्ची। दो छोटी बच्चियां, जिनमें एक की उम्र दो साल की है और दूसरे की साढ़े तीन साल, वे जीवित लहू के तालाब में पड़ी हुई थीं।

यह घटना वहां रात के सात बजे घटित हुई, जब उग्रवादी कलमाड़ी के उस गांव में आए थे और दूसरे दिन शाम चार बजे वहां पुलिस पहुंची है, सुरक्षा बल के जवान पहुंचे हैं। और ये दोनों छोटी बच्चियां लगातार पन्द्रह घंटे तक अपने मां-बाप की लाशों के साथ चिपकी रहीं। भगवान ने उनको कैसे बचाया।

बरशाला गांव की व्यथा

कुछ दिन पूर्व दो बच्चे, जिनमें एक की उम्र 18 वर्ष थी और दूसरे की 19 वर्ष, दोनों को वहां से अगवा कर लिया गया और उसके बाद उन दोनों बच्चों की लाशें मिलती हैं। .....वहां बरशाला में पन्द्रह लोग मारे गए थे जबकि घटनास्थल से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर बी. एस. एफ. है या सी. आर. पी. की चौकियां हैं, लेकिन 12 घंटे तक वहां कोई पुलिस नहीं पहुंची। जब पूछा जाता है कि यह किसकी जिम्मेदारी है तो सी. आर. पी. के जवान कहते हैं कि बी. एस. एफ. की जिम्मेदारी है और बी. एस. एफ के जवान कहते हैं कि आर. आर (राष्ट्रीय राइफल्स) की जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री जी यहां पर इस समय उपस्थित नहीं हैं। डेढ़ साल से नरसिंह राव जी के पास एक फाइल इसलिए पड़ी थी जिसमें यह फैसला करना था कि वहां राष्ट्रीय राइफल सुपीरियर है या बी. एस. एफ.। पर आज तक सरकार इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर पाई, तो हम क्या समझें कि वहां पर सरकार चल रही है ?

डी. सी. के घर में बम बनाने वाले :

अनंतनाग के डी.सी. के घर में बम बनाने वाले लड़के पकड़े गए। डी. सी. को उसमें फंसा पाया गया। बाकायदा यह एलान हुआ कि डी. सी. उसमें स्वयं लिप्त हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ ? चार महीने तक वही डी. सी. उसी जगह डी. सी. के नाते काम करता रहा और चार महीने के बाद उनका तबादला करके दूसरी जगह भेज दिया गया।

अब आप ही बताएं कि जिस डी. सी. के घर से बम बनाते हुए लोग पकड़े जाएं उस डी. सी. के ऊपर कोई उंगली भी न उठा सके, तो क्या उसे हम सरकार कहेंगे ? .....प्रदेश राज्यपाल ने 90 लोगों को जो पुलिस में थे, उनको डिसमिस कर दिया। कारण यह रहा है कि कुछ सरकारी कर्मचारी और पुलिस के लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से आते हुए पकड़े जाने पर जेल में थे लेकिन दो-दो वर्ष तक उनका वेतन निकलता रहा। विडम्बना तो यह है कि दो साल तक कोई व्यक्ति जेल में है, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया है, सरकारी नौकर है और वेतन ले रहा है।

इस घटना पर ही प्रदेश राज्यपाल ने सात लोगों को डिसमिस कर दिया। पर इनको डिसमिस करने के कुछ दिनों बाद ही वहां हड़ताल हो गई और अब एक समिति उन लोगों के मामलों पर पुनर्विचार कर रही है।

✦

16 जम्मू-ऊधमपुर रेलवे लाइन

13.3.97 और 2.5.97 को जम्मू-ऊधमपुर रेलवे लाइन का काम शीघ्र पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार का ध्यान दिलाते हुए प्रो० चमन लाल गुप्ता :

13 मार्च, 1997/लोकसभा

......**अध्यक्ष जी,** ऊधमपुर रेलवे लाइन का काम 1983 में शुरू हुआ था और अब 1997 चल रहा है। यह रेलवे लाइन केवल 53 किलोमीटर (जम्मू से ऊधमपुर तक) की थी। रेल मंत्री जी ने कहा है कि—"*हम रेलों के जरिए कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने जा रहे हैं।*" मेरा निवेदन है कि जिस तरह कोंकण रेलवे के लिए आपने एक कार्पोरेशन बनाकर रिकार्ड टाइम में उस काम को पूरा करवाया था, उसी तरह इस काम को भी आप रिकार्ड टाइम में पूरा करवाएं।

दूसरा निवेदन यह है कि जैसा रेल मंत्री जी ने कईं जगह कहा है कि *हम पत्रकारों को रेलों में यात्रा करने में कुछ रिलीफ देंगे, उन्हें आधे किराए पर ट्रेनों में ट्रैव्ल (यात्रा) करने की इजाजत देंगे,* लेकिन इसके बारे में आज उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर भी वे सदन को वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं।

2 मई, 1997

(प्रो० गुप्ता के प्रश्न का उत्तर देते हुए रेल मंत्री श्री रामविलास पासवान)

श्री रामविलास पासवान : जम्मू-कश्मीर में एक जम्मू-ऊधमपुर की रेल लाइन है। यह 1981-82 की परियोजना है। इसकी कुल लम्बाई

53 किलोमीटर है और अनुमानित खर्च 326 करोड़ रुपये है। 31.3.97 तक 235 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 1997-98 में हमने 29 करोड़ रुपये रखे हैं और यह काम 31.12.1999 तक पूरा होगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां रास्ते में तीन पुल और एक टनल बननी है। कुछ दिन तक जो ला एंड आर्डर की समस्या थी जिसमें ठेकेदारों से जबरदस्ती पैसा वसूला जाता था, यह भी उसके विलम्ब का एक कारण रहा है।

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : आपने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि *यह काम दिसम्बर '97 तक पूरा हो जाएगा।* यह आपके ही बजट भाषण का एक हिस्सा है। इसलिए मेरा कहना है कि अभी जो आप कह रहे हैं कि दिसम्बर '99 तक इस कार्य को पूरा करेंगे, उस समय तक आप इसे पूरा नहीं करा पाएंगे।

.....

मैंने जालंधर से जम्मू तक डबल लाइन ट्रैक बनाने की मांग की थी, वह एक मुख्य प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें क्या प्रगति हुई, वह आपने नहीं बताया।

........(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : इतने प्रोजेक्ट हम कहां तक याद रखेंगे, लेकिन माननीय सदस्यों ने जम्मू से राजौरी होते हुए पुंछ तक एक नई रेलवे लाइन की डिमांड की थी, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जम्मू-राजौरी-पुंछ रेलवे लाइन के सर्वेक्षण का आदेश हमने दे दिया है, उसका सर्वेक्षण हो रहा है तथा इसे प्रमुखता दी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आगे की कार्रवाई की जाएगी।

........(व्यवधान)

✦

17 रावी पुल का निर्माण आवश्यक

27 फरवरी, 7 अगस्त और 12 अगस्त '97 की विशेष चर्चाओं के दौरान प्रो० चमन लाल गुप्ता ने रंजीत सागर डैम के बनाए जाने के कारण अपने ही गांवों से विस्थापित हुए एक लाख लोगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और साथ ही रावी नदी पर शीघ्र पुल का निर्माण कराने का सुझाव दिया :

...जम्मू और पंजाब के बीच रावी नदी पर एक रंजीत सागर डैम बनाया जा रहा है, जिसके कारण बिलावर और बसौली के लगभग एक लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, क्योंकि इस डैम के कारण बिलावर और बसौली के इलाके पूरी तरह से पानी में डूब रहे हैं। इस डैम से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों को भी बिजली मिलेगी परन्तु जो एक लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास के बारे में सोचना जरूरी है।

इस डैम के बन जाने से लागों को जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा उस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बसौली का मुख्यालय कठुआ है। बसौली और कठुआ के बीच की दूरी 18 किलोमीटर है लेकिन यह डैम बन जाने से दूरी 150 किलोमीटर हो जाएगी। इस दूरी को कम करने के लिए पंजाब और जम्मू की सरकार के बीच यह तय हुआ था कि दोनों सरकारें पंजाब और बसौली को मिलाते हुए रावी नदी के ऊपर पुल बनाएंगी। उस समय इस पुल के निर्माण की लागत कुल 18 करोड़ आंकी गई थी। चार साल पहले यह पुल बनाने के लिए दोनों सरकारों के बीच विधिवत समझौता भी हुआ था, लेकिन अभी तक वह पुल नहीं बना पाए, जिसके कारण वहां के लोगों को आने-जाने में कठिनाई हो रही है।

आज यह कहा जा रहा है कि उस पुल को बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये चाहिए। यह खर्चा बढ़ जाने के कारण स्थिति यहं है कि न पंजाब और न ही जम्मू-कश्मीर की सरकार इस बारे में कोई चर्चा कर ही है।

पंजाब और जम्मू को मिलाते हुए रावी नदी पर शीघ्र ही एक पुल का निर्माण हो और रंजीत डैम के बनने से जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें फिर से बसाया जाए, केंद्र सरकार शीघ्र ऐसी व्यवस्था करे।

इसलिए मेरा निवेदन है कि आप (वित्त मंत्री) इस पुल को तुरंत बनाने के लिए पैसा दें। चाहें इसकी व्यवस्था इस बजट में हो या किसी अन्य बजट में, ताकि यह पुल बन सके और वहां के लोगों को यह सुविधा मिल सके।

✦

कश्मीर में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की जरूरत

19.12.96 को हिन्दी विश्वविद्यालय बिल के समर्थन में दिया गया भाषण :

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन साथ ही इसमें जो कठिनाइयां हैं उनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बिल में हमें कोई फाइनेंशिएल मेमोरंडम नज़र नहीं आता। राज्यसभा से पास यह बिल होकर आया है इसलिए नहीं होगा। जैसे कि उर्दू विश्वविद्यालय खोलने का बिल था, उसमें छह करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : फाइनेंशिएल मेमोरंडम में 30 करोड़ रुपये हैं।

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : धन्यवाद, क्योंकि मैं समझता हूं कि पैसे के बिना कोई विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो सकता, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

इस बिल में जो उद्देश्य बताए गये हैं, वे उत्तम हैं; हिंदी भाषा और साहित्य का सृजन और विकास करना, उस प्रयोजन के लिए शिक्षा की सुसंगत शाखाओं में शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन और अनुसंधान के सक्रिय अनुसरण के लिए व्यवस्था करना, देश और विदेश में सुसंगत सूचना के विकास और प्रसारण के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

विधेयक में आगे विश्वविद्यालय की शक्तियों के बारे में बताया गया है। लेकिन आपने इस बारे में नहीं बताया है कि कैसे विदेशों के अन्दर यह भाषा प्रसारित होगी। उद्देश्य यह रखा गया है कि इसको हम एक तरह से अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं यह ठीक है, परन्तु

जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पचास वर्षों में जब हम इसको अपनी राष्ट्रभाषा भी घोषित नहीं कर सके हैं, तो कैसे पचास वर्षों में इसको अपने देश की भाषा पूरी तरह से घोषित कर सकते हैं ?

प्रचार-प्रसार की व्यवस्था :

महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर राज्य से हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) में सरकारी भाषा उर्दू है और कामकाज की भाषा अंग्रेजी, लेकिन हिन्दी के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं है। ....हिन्दी भाषा हमारे देश की एकता और अखण्डता के लिए बहुत बड़ा साधन बन सकती थी, लेकिन इसका वहां पर प्रसार न होने की वजह से आज जो वहां पर परिस्थितियां बनी हैं, वे विपरीत हैं।

इस बिल में बताया गया है कि विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण भारत होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कश्मीर में भी इसको कॉलेज के साथ जोड़ने की व्यवस्था की जाए या फिर केवल हिन्दी के प्रचार के लिए वहां पर व्यवस्था की जाए। मैं कहना चाहता हूं, आप वहां के कार्यालयों में देख लीजिए, हिन्दी का एक भी टाइपराइटर वहां आपको नहीं मिलेगा, कम्प्यूटर नहीं मिलेगा। जब तक आप इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे; जिससे राज्य के अन्दर अपनी राष्ट्रभाषा ठीक तरह से प्रगति कर सके, तब तक देश की एकता और अखण्डता पर भी एक प्रश्नचिह्न बना रहेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बनातवाला जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने एक मुद्दा उठाया था। अगर हमें कोई भी कॉलेज खोलना है या कुछ भी करना है, तो पहले केन्द्र से उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसी इसके अन्दर व्यवस्था है यानी एक तरह से इसको सीमित कर दिया गया है। जब तक सरकार इजाजत नहीं देगी, तब तक वहां पर कोई काम नहीं चल सकता है। विश्वविद्यालय का जो नाम है, एक तरह से उसी पर यह प्रश्नचिह्न है उसकी स्वायत्तता पर एक प्रश्नचिह्न है। इस बारे में जब आप जवाब दें, तो जरूर जवाब दें।

अंत में, माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे हमारी शंकाओं को दूर करने की कोशिश करें। मैं इस बिल का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

19 रोजी-रोटी के साथ जोड़ने पर ही उर्दू का विकास संभव

16.12.96 को लोकसभा में उर्दू विश्वविद्यालय निर्माण कराने से सम्बन्धित बिल के समर्थन में विचार रखते हुए :

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल की हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ऐसे राज्य से हूं जहां उर्दू हमारी राज्य भाषा है। ....जम्मू-कश्मीर के तीन संभाग हैं—कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। राज्य भाषा होने के बावजूद उर्दू की आज वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सरकार का 90 प्रतिशत से भी ज्यादा कामकाज अंग्रेजी में चलता है, उर्दू को कोई पूछता नहीं है। उर्दू के विकास के लिए किसी तरह की कोई कोशिश वहां पर नहीं हो रही है। पिछले लगभग पचास वर्षों में लगातार उर्दू जानने वाले लोगों की कमी हो रही है। वहां पर उर्दू का कोई विकास नहीं हो सका। इसलिए यहां आप इस विश्वविद्यालय का निर्माण उर्दू को अच्छी जुबान बनाने के लिए कर रहे हैं, उर्दू की प्रगति हो; इस दृष्टि से कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या हमने इसके लिए कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर (ढांचा) खड़ा किया है ? हमने यहां तक कहा है कि उर्दू में तकनीकी शिक्षा देंगे जो इस बिल की मंशा थी :

"The Bill to establish and incorporate the university at the national level, mainly to promote and develop Urdu Language and to impart vocational and technical education in Urdu medium through conventional teachings and distance education system end to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Rajya Sabha." [१]

---

१. इस बिल का उद्देश्य विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित और निगमित करना है, ताकि उर्दू भाषा की उन्नति और विकास हो सके; पारंपरिक और दूर शिक्षा प्रणाली द्वारा उर्दू माध्यम में व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रणाली लागू हो, और वे तत्संबंधी या अनुषांगिक मामले भी प्रदान किए जाएं, जैसा कि राज्यसभा द्वारा पारित हुआ है।

उर्दू कोई अलग भाषा नहीं :

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि जब तक हम उर्दू को रोजी-रोटी के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमारे यहां[१] यह हाल है कि पहले कोर्ट का सरकारी कामकाज उर्दू में होता था; वहां पर आज भी राजस्व का सारा कामकाज उर्दू में होता है लेकिन पटवारी नहीं मिल रहे हैं। उर्दू पढ़ने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि उर्दू पढ़ने के बाद शायद उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए जब तक आप इसे रोजी-रोटी के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक उर्दू का विकास नहीं हो सकता। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि हमारी रियासत में उर्दू का बहुत ह्रास हुआ है।

हमने उर्दू को कभी भी अलग भाषा नहीं माना। उर्दू और हिन्दी दोनों जुड़वां बहनें हैं; हम ऐसा मानते हैं। लेकिन जिस तरह से यह बिल लाया गया है, उसमें आपका स्यूडो सेकुलरिज्म (छद्म पंथनिरपेक्षिता) साफ दिखाई देता है। गांधी जी के नाम पर हिन्दी को साथ जोड़कर बिल लाया गया है तो उर्दू को साथ जोड़कर मौलाना आजाद के नाम पर दूसरा बिल लाया गया। इससे यह साफ है कि आपकी सोच क्या है ? हम चाहते हैं कि उर्दू की प्रगति हो, लेकिन उसकी प्रगति के लिए ईमानदारी से सब व्यवस्था की जाए, उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जाए और तभी उर्दू का विकास हो सकेगा।

मैं इस बिल का भरपूर समर्थन करता हूं।

---

१. जम्मू-कश्मीर में।

20 समान नागरिक संहिता

लोकसभा में अनेक मुद्दों पर बहस के दौरान प्रो० गुप्ता जी ने न केवल जम्मू-कश्मीर के ज्वलंत मामलों को उठाया है; बल्कि साथ ही साथ अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय बेबाकी से व्यक्त की है। जब 6 मार्च, 1997 को कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का बिल सदन के पटल पर रखा गया तो इस बिल का समर्थन करते हुए, इसे सर्वसम्मति से पारित कराने का सुझाव देते हुए उन्होंने देश में एक समान कानून लागू करने की बात कही, ताकि मुस्लिम महिलाएं भी जीवन के प्रत्येक्ष क्षेत्र में समान रूप से अग्रसर हो सकें :

.....**सभापति महोदय,** हमारा भारत अनेक मज़हबों का देश है। यहां पर हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई और सिख रहते हैं और इन सबने मिलकर भारत को बनाया है। जैसे एक गुलदस्ते की खूबसूरती इसी में है कि उसमें अनेक रंग-बिरंगे और खुशबूदार फूल होते हैं; मैं समझता हूं कि यह देश भी उसी तरह से एक गुलदस्ता है। जिस समय देश का संविधान बनाया गया था तो संविधान निर्माता डा० अम्बेडकर ने इस ओर इशारा किया था कि देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए (यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता हो) परन्तु जो हालात बनते गए और जो लोग सत्ता के अंदर आए, उन्होंने इस देश में वोटों की राजनीति चलाई। इस देश की परम्पराओं की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना नहीं दिया जा सका।

महिलाएं सद्गुणों का उपयोग करने में असमर्थ :

आज बाहर के देशों में जाने के बाद हर आदमी अनुभव करता है कि वहां की महिलाएं पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में काम कर रही हैं।

कोई क्षेत्र ऐसा नहीं दिखाई देता, जिसमें महिलाएं पुरुषों से आगे नहीं बढ़ रही हों। फिर क्या कारण है कि अपने देश में जहां 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, जिनमें अधिकांश गृहिणियां हैं, परन्तु वे सारे देश की बेहतरी के लिए अपने सद्‌गुणों का उपयोग करने में असमर्थ हो रही हैं। मुस्लिम समाज में विशेषकर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इस तरह का कोई अवसर ही नहीं मिल पा रहा है कि वह देश की बेहतरी में अपना योगदान दे सकें।

समान कानून :

सभापति जी, हकीकत यह है कि जब कोई कॉमन सिविल कोड की बात करता है तो उसका इस तरह से मतलब लगाया जाता है कि वह सारे देश में हिन्दू लॉ लादना चाहता है। हिन्दुओं में भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनमें आज दोष हैं, जिनको हमें बदलना चाहिए। और इसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में यह जो बात कही जाती है कि वे सारी बातों को रखेंगे तो मेरा निवेदन है कि जब सेक्यूलरिज्म की बात हम करते हैं तो सही मायनों में जो सेक्यूलरिज्म है, उसको अपनाना पड़ेगा जिससे देश में सब मिलकर चल सकें और पूरा देश प्रगति कर सके।

आज आप टर्की, अल्जीरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया की ओर देखें तो इन सबने पौलीगैमी (बहु-विवाह) पर एक तरह से बंधन लगा दिया है। पाकिस्तान में भी साफतौर पर मैण्डेट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को दूसरी शादी करनी है तो जब तक उसकी पहली पत्नी उसको आज्ञा नहीं देगी, तब तक वह दूसरी शादी नहीं कर सकता है। जब मुस्लिम देशों में इतनी प्रगति हो रही है तो समझ में नहीं आता कि आखिर अपने देश भारत के अंदर हम क्यों रूढ़िवादी बातों के साथ चिपके हुए हैं ?

बहुत से मसलों पर हमें यह बात सुनने को मिलती है कि अदालत का फैसला मानना चाहिए। इसलिए आज के माहौल को देखते हुए जो फैसला न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह और उनके साथी श्री आर. एम.

सहाय ने दिया था कि सारे देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, ऐसा किया जाए। हम उम्मीद करते थे कि अदालत के फैसले के बाद यह हो जाएगा। लेकिन अजीब बात हो गई कि शाहबानों के केस में अदालत ने फैसला दिया तो उसको बदल देने की कोशिश की गई। जब श्री कुलदीप सिंह ने यह फैसला दिया तो उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो बड़े-बड़े जज हैं, उनकी यह राय है कि सारे देश में यह माहौल है कि महिलाओं को समान अवसर देने चाहिए ताकि वे भी इस देश में प्रगति कर सकें, हमारा साथ दे सकें और भारत देश को हम जिस तरह का बनाना चाहते हैं, उस तरह का बना सकें।

कुछ दिनों के बाद ही हम आजादी के 50 साल मनाएंगे और 50 सालों के बाद हम भारत की वह तस्वीर सामने लाना चाहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति सुखी हो, कोई अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कर न जले और किसी को यह परेशानी न हो, कि मेरा गुजारा कैसे चलेगा।

यदि कोई भी आदमी अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अगर किसी दूसरी महिला के साथ शादी कर लेता है और पहली पत्नी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है तो ऐसे माहौल के अंदर इस देश की प्रगति होना संभव नहीं है।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इसकी पुरजोर ताईद करता हूं कि इस देश के अंदर कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह सदन पहली फुरसत में ही इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दे।

◆

परिशिष्ट

(क)

सीमा पर फैंसिंग

बार्डर पर फैंसिंग की कार्य प्रगति के बारे में सांसद प्रो० गुप्ता रक्षा मंत्री से प्रश्न पूछते हुए :

दिनांक : 28 जुलाई, 97/लोकसभा

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या इनको यह जानकारी है कि इस समय भी हमारे सारे बार्डर से लगभग चार-पांच हजार लोग अपने घर-बार छोड़कर पीछे हटकर निवास कर रहे हैं ?

रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम बार्डर पर ही फैंसिंग करा रहे हैं, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि पिछले दो-तीन सालों से बार्डर पर फैंसिंग लगाने के लिए 20 करोड़ रुपये का लोहा, तारें आदि सामान पड़ा-पड़ा ज़ाया हो गया है ? क्योंकि जब भी आप फैंसिंग लगाना शुरू करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। इसलिए वायर लगाने का काम आपने खुद बंद करवा दिया।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हम जो फैंसिंग बार्डर पर कर रहे हैं, यह कब से शुरू हुई है और कब पूरी होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव : फैंसिंग करा रहे हैं, ये शब्द मैंने नहीं कहे। जब भी हम फैंसिंग करते हैं तो पाकिस्तान ज्यादा फायरिंग करता है। वह किसी न किसी तरह से हमारी सेना का अटेंशन डाइवर्ट करके अपने उग्रवादी इधर भेजने की कोशिश करता है। फायरिंग करने का यही उसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कश्मीर में शांति न रह सके। लेकिन हमने अभी फैंसिंग शुरू नहीं की है, सामान जरूर पहुंचा है। अगर फैंसिंग

करेंगे तो वह गोलाबारी ज्यादा करेगा। लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की समझ में आ जाए। अगर नहीं समझेगा तो हम फैंसिंग करेंगे, नतीजा कुछ भी हो।

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : कब तक इंतजार करेंगे, हमें हकीकत बताएं ? तीन साल से लगातार फैंसिंग का काम शुरू है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है।

.....(व्यवधान)

पाकिस्तान ने शिमला समझौते के तहत जिस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय सीमा माना था, उसको अब वह नहीं मान रहा है। वह कहता है कि कश्मीर विवादित क्षेत्र है, इसलिए वह फायरिंग कर रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम उसका इंतजार कर रहे हैं। बातचीत के बाद नतीजे आप के सामने आ जाएंगे।

✦

किसानों को मुआवजा

16 मई, 1997/लोकसभा

श्री चमन लाल गुप्ता : जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय हुआ और सेना ने पाकिस्तानी हमलावरों को पीछे खदेड़कर देश की एकता एवं अखण्डता की रक्षा की। उस समय सेना के जवान जहां-जहां तैनात हुए, जिन-जिन जगहों पर उन्होंने मोर्चे सम्भाले, छावनियां बनीं, उन्हीं जगहों के ज़मीन के मालिकों को सेना ने किराया देना शुरू किया। लेकिन आज भी यह किराया किसानों को उतना ही दिया जा रहा है जितना कि 1947 में निर्धारित हुआ था।

बाद में 1990 और 1993 में केंद्र की ओर से यह आदेश जारी हुआ था कि किराया बढ़ाया जाए, इसके लिए पुनर्निरीक्षण भी हो चुका था। पर दुर्भाग्य से जिन लोगों की ज़मीनें ले ली गईं, उनमें से किसी को भी आज तक बढ़ी दर के अनुसार किराया नहीं दिया जा रहा है।

बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी ज़मीन इस समय सेना के पास है। कई जगह छावनियां भी बनाई गई हैं। कहने का एक मात्र उद्देश्य केवल इतना है कि सरकार जो ज़मीन लेना चाहती है, उसके एवज में किसानों को शीघ्र मुआवजा मिलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी आजीविका का एक मात्र साधन ज़मीन ही है। पर पूरा किराया न मिलने की वजह से ऐसे परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।

मेरी केंद्र से यह मांग है कि शीघ्रातिशीघ्र किसानों को उस किराया का भुगतान करे, जो अभी तक बकाया है, और किसानों को ज़मीन का पूरा मुआवजा दे, ताकि वह अपनी घर-गृहस्थी चला सकें।

◆

प्रदेश और केंद्र सरकार की अवधारणा में अंतर

28 जुलाई, 1997/लोकसभा

श्री चमन लाल गुप्ता : कश्मीर की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की अवधारणा में काफी अंतर है। जब मैंने वहां के कुछ मंत्रियों से इस संदर्भ में बातचीत की तो उनका कहना था कि *उनकी और केंद्र सरकार की अवधारणा में ज़मीन-आसमान का अंतर है। वे आतंकवादियों के साथ एक तरीके से निपटना चाहते हैं जबकि केंद्र सरकार का आतंकवादियों के साथ निपटने का तरीका ही कुछ और है।* इसी भ्रम से कश्मीर समस्या बढ़ती जा रही है। कश्मीर में सुरक्षा बलों, सेना के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर जो स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार लाया है, उसे बना रहने दें, स्थिति को और न बिगाड़ें, उसके लिए आवश्यक है कि कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार एक ही नीति पर चलें।

होता यह आया है कि एक ओर राज्य सरकार यह घोषणा करती है कि आतंकवादियों के साथ बातचीत नहीं करेगी, तो इधर केंद्र सरकार बातचीत का प्रस्ताव लेकर आती है पर जब उसे स्थिति का पता चलता है, तो वह अपने वक्तव्य में फेरबदल कर देती है।

प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर में मुख्य चार कार्यक्रमों में भाग लिया। तीन कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने यही वक्तव्य दोहराया कि *वे गुमराह नौजवानों से अनकंडीशनल (बिना किसी शर्त के) बातचीत करना चाहते हैं* और चौथे कार्यक्रम में यह कह दिया कि *जब तक वे हथियार नहीं छोड़ेंगे तब तक बातचीत का कोई अर्थ नहीं होगा।* इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी सदन में आ गये हैं वे कम से कम सदन को विश्वास में लेकर यह स्पष्ट करें कि दोनों सरकारों की अवधारणा में क्या अंतर है?

✦

घ

देश के मेडिकल कॉलजों में प्रवेश के लिए जम्मू-कश्मीर को भी प्रवेश-परीक्षा पूल योजना के अंतर्गत लाया जाए :

13 मई, 1997/लोकसभा

श्री चमन लाल गुप्ता : राज्य सरकारों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि मात्र उसी राज्य के विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रकार के आरक्षण सहित प्रवेश दिया जाएगा। इस रुख के विरुद्ध देश के विद्यार्थियों में भारी असंतोष था। 1983 में यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया। 1986 में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि राज्यों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में 15 प्रतिशत सीटें (स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कक्षाओं में) एक पूल के तहत रखी जाएं। इन सीटों को बिना किसी आरक्षण के सभी राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश-परीक्षा के आधार पर भरा जाए।

इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों से सहमति मांगी। पर जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर देश के सभी राज्यों ने इस योजना में भागीदार होने पर सहमति जताई। ऐसी प्रवेश-परीक्षा पूल योजना 1986 से शुरू हो गई। इस योजना के तहत एम. सी. आई. के नियंत्रण में सी. बी. एस. ई. प्रवेश-परीक्षा आयोजित कराती है और मेरिट लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन होता है। इस पूल में सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए 1500 से 2000 तक सीटें रखी गई हैं।

इस प्रवेश-परीक्षा पूल योजना का लाभ उठाने के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर में विद्यार्थियों ने इस योजना के पक्ष में प्रतिवेदन दिए और कनिष्ठ डाक्टरों ने राज्य में दो बार हड़ताल भी की। ......इस केंद्रीय पूल योजना से जम्मू-कश्मीर राज्य के विद्यार्थी और कनिष्ठ डाक्टर बिना किसी कसूर के प्रभावित हो रहे हैं। अगर यह राज्य भी इस पूल

योज़ना में शामिल हो जाता है तो हमें जितनी सीटें केंद्रीय पूल में देनी पड़ेगी, उससे कई अधिक सीटें वहां के विद्यार्थियों को समग्र देश में राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी और जम्मू-कश्मीर के मेधावी विद्यार्थी 1500-2000 सीटों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय एकता की दिशा में भी यह एक ठोस कदम होगा क्योंकि विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी एक दूसरे के नजदीक आ सकेंगे।

मेरा निवेदन है कि जम्मू-कश्मीर राज्य को भी इस प्रवेश-परीक्षा पूल योजना के अंतर्गत शीघ्रातिशीघ्र लाया जाए।[१]

9 मई, 1997/लोकसभा

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आने वाले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए :—

1. जम्मू-कश्मीर में पिछले आठ वर्षों से बेकार नौजवानों विशेषकर इंजीनियर्स, डाक्टरों तथा डिप्लोमा होल्डरों को तुरंत काम दिया जाए और जिन्हें नौकरी न दी जा सके उन्हें सब्सिसटेंस अलाउंस (निर्वाह भत्ता) दिया जाए।

◆

---

१. अंग्रेजी से अनुदित।

डोगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो :

7 अगस्त, 1997/लोकसभा

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष जी, डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में लाने से सम्बंधित जो मामला यहां उठाया गया है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जितनी भी जल्दी इस मामले को अमलीजामा पहनाया जाएगा, उतना ही अच्छा है। क्योंकि डोगरी तीस लाख से ज्यादा लोगों की भाषा है और सब तरह से सम्पन्न है।

✦

च | दुलहस्ती प्रोजेक्ट

26, 27 फरवरी, 1997 और 12 अगस्त, 1997/लोकसभा

श्री चमन लाल गुप्ता : 1982 में जम्मू-कश्मीर के डोडा क्षेत्र में दुलहस्ती प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी और 1989 में इस परियोजना पर कार्य आरम्भ किया गया था। केंद्र सरकार ने इस परियोजना का ठेका एक फ्रेंच कम्पनी को दिया था। यह कार्य 57 महीनों में पूरा होना था। इसके लिए 845.97 करोड़ रुपये रखे गये थे।

फ्रेंच कंपनी के एक इंजीनियर के अपहरण के चलते काम बंद कर दिया गया और सारे कंपनी वाले वहां से भाग गये। इस बारे में मैंने सरकार से सवाल (प्रश्न संख्या-66) पूछा था कि *फ्रेंच कंपनी ने 1992 में काम करना बंद कर दिया और वहां से भाग गई। पिछले पांच सालों में वहां काम ठप रहा पर काम बंद होने के बावजूद 1997 में इस कम्पनी को 968 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। मैंने यह जानना चाहा था कि यह भुगतान आखिर किस बात के लिए किया गया। 1996 में भी दो करोड़ रुपये दिए गए थे।*

मेरे इस प्रश्न के जवाब में जो ब्यौरा दिया गया उसे 26 फरवरी '97 को मैंने सदन के समक्ष रखा। जवाब में कहा गया कि *1989 में दुलहस्ती प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ था। 1980 से लेकर 1989 तक इस परियोजना पर 71 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 1989 से लेकर 1992 तक इस पर 545.32 करोड़ खर्च हुए हैं। उसके बाद 1992 से लेकर 1997 तक इस पर 873.16 करोड़ खर्च हुए। 1989 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पर 1989 में ही वहां आतंकवादी गतिविधियां आरंभ हुईं। इस बीच जिसने ठेका लिया हुआ था, वह भाग गया।*

पर मूल प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि कार्य बंद होने के बाद क्यों 968 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। 1992 और 1997 के

दौरान जब काम बंद था तो इस बीच भी खर्च दिखाया गया।

उस फ्रेंच कम्पनी को दिए गए भुगतान की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। यह जांच संसद की एक समिति से होनी चाहिए। समिति पारदर्शी होकर यह जांच करे कि सही अर्थों में पैसा खर्च होता रहा है या नहीं, क्योंकि गत वर्षों में आतंकवादी गतिविधियों के कारण वहां कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है तो भी करोड़ों रुपये के खर्च दिखाए गए हैं। देश का यह पैसा क्या व्यर्थ ही खर्च हो रहा है, इसकी जांच करना अनिवार्य है।

एक्सग्रेशिया ग्रांट दिया जाए :

(6 मार्च, 1997/लोकसभा)

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए :—

1. डोडा जिला के आतंकवाद से पीड़ित बन्धुओं को तुरंत एक्सग्रेशिया ग्रांट की एक लाख की राशि तथा उनके परिवार के एक सदस्य को तुरंत नौकरी दी जाए।

2. वैष्णों देवी (कटड़ा) में जहां 50 लाख यात्री प्रतिवर्ष आ रहे हैं, वहां पीने के पानी की कठिनाई को तुरंत दूर किया जाए।

जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए 'संसद में जम्मू कश्मीर' ऐसी सम्भवतया अभी तक की पहली पुस्तक होगी, जिसमें वहां की ऊधमपुर संसदीय सीट से पहली बार चुने गए सांसद प्रो० चमन लाल गुप्ता द्वारा संसद में राज्य के बारे में दिए गए भाषणों को संकलित किया गया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रो० गुप्ता दो बार पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं। सांसद बनने से पहले वे दो बार राज्य विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में कश्मीर के मामले को उठाती रही है पर इस पुस्तक की उपादेयता इसलिए भी और बढ़ जाती है कि इसमें संगृहीत विचार एक ऐसे प्रखर नेता के हैं जो वहां के मूल निवासी हैं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के आज और कल से साक्षात्कार किया है और जो वहां की ज्वलंत एवं समसामयिक घटनाओं के भुक्तभोगी हैं। इस दृष्टि से भी 'संसद में जम्मू कश्मीर' पुस्तक कश्मीर के संदर्भ में एक प्रामाणिक दस्तावेज साबित होगी।

—सम्पादक